खण्ड–493, अंक–7
मंगलवार, 03 चैत्र, शक संवत् 1937
(24 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रदेश में दरोगा और पुलिस कर्मियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा कराये जाने की मांग ...	7–12
प्रश्नोत्तर	12–23
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	23–25
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवां का नाम बदलकर डुमरियागंज के प्रथम विधायक मरहूम काजी मो0 अदील अब्बासी के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	25
दिनांक 02 जनवरी, 2015 को असम राइफल्स के शहीद हुए जनपद मेरठ निवासी सूबेदार रामेश्वर प्रसाद के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद कुशीनगर के हाटा ब्लाक तथा पडरौना ब्लाक के विपणन गोदाम में तैनात तत्कालीन एस0एम0आई0 द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	26–27
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति से वंचित पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	27
जनपद बहराइच के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	27–28
जनपद बलिया से लापता युवती आफरीन परबीन की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	28
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	28–29
जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद सहारनपुर के नलकूप खण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	29–30
जनपद लखनऊ स्थित ग्राम गोमी खेड़ा के पास लोनी स्केप पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	30
जनपद बागपत के किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा	30–31

दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद गाजियाबाद में दिल्ली गेट से चौपला मन्दिर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	31
जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद लखनऊ में एल0डी0ए0 द्वारा पैसा जमा करने के पश्चात् भी भू–खण्ड मालिक को पजेशन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
नियम–51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर निर्धारित वक्तव्य की तिथि से पूर्व विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाने के फलस्वरूप उन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	32–33
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त (31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये) (सदन के पटल पर रखा गया)	33
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	33
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	33
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का बीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	33–34
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	34
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का बाइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	34
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का तेइसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	34
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का चौबीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)...	34–35
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	35–36
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण)	36

(संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)	36–37
जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)	37
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित)...	37
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के तीसरे सोमवार दिनांक 7 जुलाई, 2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर	37–38
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	38–52
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग) (स्वीकृत)	52–53
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	53
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	54
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	54
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ...	55
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	55
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	56
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	56
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत) ...	57

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं 57–60

जनपद मुरादाबाद की विधान सभा कांठ निवासियों की दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 की दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत) 60

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद एटा के विकास खण्ड शीतलपुर अन्तर्गत बाहरी चुंगी नगला मुरली वीरपुर से सरनऊ तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य ...	60–61
प्रदेश के आचार्यों/अनुदेशक/मदरसा अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक पद पर पदास्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ...	61–62
जनपद रामपुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त विलासपुर मिल्कखानम स्वार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	62
जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीदनगर में लड़कियों हेतु बालिका इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	62–64
जनपद बिजनौर के विकास खण्ड मौ0पुर देवमल में समाजवादी पेंशन योजना में घोर धांधली के सम्बन्ध में श्रीमती रूचिवीरा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	64–65
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 2 फरवरी, 2011 के प्रस्तर–7 के प्रदेश के बी0आर0सी0 सह–समन्वयकों को प्रधानाध्यापक उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के बराबर वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	65–66
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदार नगर में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	66
जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–नगला तुहीराम के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	67
जनपद आजगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम–51 के	67–69

अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–328

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
24. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
25. अरूण कुमार, डा0 बरेली
26. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
27. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
28. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
29. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
30. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
32. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
34. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री आजमगढ़
37. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
38. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
39. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
40. आशीष यादव, श्री बदायूं
41. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
42. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
43. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
44. इकबाल, श्री बिजनौर
45. इकबाल महमूद, श्री संभल
46. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
47. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
48. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
49. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
51. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
52. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी

55. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
56. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
61. कमाल युसुफ मलिक, श्रीसिद्धार्थनगर
62. काली चरन सुमन, श्री आगरा
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. कैलाश, श्री गाजीपुर
68. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
69. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
70. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
71. गजराज सिंह, श्री हापुड़
72. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
73. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गोरख पासवान, श्री बलिया
78. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
79. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
80. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
81. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जगपाल, श्री सहारनपुर
85. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
86. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
87. जफर आलम, श्री अलीगढ़
88. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
89. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
90. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
91. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
93. जाहिद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
96. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
97. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
98. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
99. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
100. दलजीत सिंह, श्री बांदा
101. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
102. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
103. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
104. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
105. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
106. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
107. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
108. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
109. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
110. धर्मराज, श्री बाराबंकी
111. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
112. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
113. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
114. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
115. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
116. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
117. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
118. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़

119. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
120. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
121. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
122. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
123. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
124. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
125. पीतमराम, श्री पीलीभीत
126. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
127. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
128. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
129. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
130. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
131. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
132. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
133. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
134. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
135. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
136. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
137. बदलू खां, श्री उन्नाव
138. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
139. बाबू खां, श्री हरदोई
140. बाबूलाल, श्री गोण्डा
141. बावन सिंह, श्री गोण्डा
142. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
143. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
144. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
145. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
146. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
147. बैजनाथ, श्री मऊ
148. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
149. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
150. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
151. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
152. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
153. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
154. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
155. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
156. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
157. मनबोध, श्री देवरिया
158. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
159. मनीष रावत, श्री सीतापुर
160. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
161. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
162. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
163. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
164. महबूब अली, श्री अमरोहा
165. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
166. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
167. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
168. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
169. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
170. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
171. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
172. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
173. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
174. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
175. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
176. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
177. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
178. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
179. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
180. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
181. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
182. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
183. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
185. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद

186. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
187. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
188. यासर शाह, श्री बहराइच
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
190. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
191. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
192. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
193. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
194. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
195. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
196. रणजीत सुमन, श्री एटा
197. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
198. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
199. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
200. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
201. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
202. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
203. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
204. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
206. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
207. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
208. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
209. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
210. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
211. राजिव, श्री सहारनपुर
212. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
213. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
214. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
215. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
216. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
217. राधे श्याम, श्री अमेठी
218. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
219. राम करन आर्य, श्री बस्ती
220. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
221. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
222. राम गोविन्द, श्री बलिया
223. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
224. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
225. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
226. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
227. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
228. राम मगन, श्री बाराबंकी
229. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
230. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
231. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
232. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
233. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
234. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
235. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
236. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
237. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
238. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
239. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
240. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
241. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
242. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
243. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
244. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
245. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
246. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
247. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
248. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
249. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
250. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
251. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
252. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी

253. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
254. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
255. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
256. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
257. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
258. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
259. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
260. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
261. विजय सिंह, श्री रामपुर
262. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
263. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
264. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
265. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
266. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
267. वीरपाल राठी, श्री बागपत
268. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
269. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
270. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
271. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
272. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
273. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
274. शाकिर अली, श्री देवरिया
275. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
276. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
277. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
278. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
279. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
280. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
281. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
282. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
283. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
284. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
285. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
286. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
287. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
288. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
289. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
290. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
291. संजय कपूर, श्री रामपुर
292. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
293. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
294. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
295. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
296. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
297. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
298. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
299. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
300. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
301. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
302. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
303. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
304. सियाराम सागर, डा0 बरेली
305. सीमा, श्रीमती जौनपुर
306. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
307. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
308. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
309. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
310. सुधाकर, श्री मऊ
311. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
312. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
313. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
314. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
315. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
316. सुरेश राणा, श्री शामली
317. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
318. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद

319. सुल्तान बेग, श्री बरेली
320. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
321. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
322. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
323. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
324. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
325. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
326. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
327. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
328. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, प्रदेश में दरोगा और पुलिस कर्मियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा कराये जाने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में दरोगा और पुलिसकर्मियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है उससे प्रदेश में नौजवान आन्दोलित हैं।

(भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेस एवं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन के वेल में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे शोर/घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ में जिस तरीके से छात्र सड़कों पर उतरे हैं, दरोगा और पुलिस की भर्ती के अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं उसको देखते हुए सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में दरोगा और पुलिसकर्मियों की भर्ती में जिस तरीके से सरकार अपने चहेतों को भरने का काम कर रही है, अयोग्य लोगों को भरने का काम कर रही है और योग्य लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है, मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं। आज पूरे प्रदेश में जनान्दोलन है, पूरे प्रदेश में आक्रोश है, पुलिस और दारोगा की भर्ती पर आरोप है, इसलिए मान्यवर, इसकी गम्भीरता को देखते हुए, इसकी अविलम्बनीयता को देखते हुए मैं आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने अपनी बात कह ली, इस पर नियम–311 में और अन्य मदों में कई मा0 सदस्यों ने सूचना दी है, इसलिए जब नियम–56 आयेगा तो आप लोग अपनी बात कह लीजिएगा। अब आप लोग अपने आसन पर चलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इस पर चर्चा करायी जाए। मान्यवर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली।

श्री अध्यक्ष–

जब आप इसी समय चर्चा कर लेंगे तो बाद में नहीं बोल पायेंगे, इसलिए अब आप इस पर कुछ न बोलें जब नियम–56 आयेगा तो बोलियेगा। अब आप लोग अपनी सीटों पर चलें, अब आपकी बात हो गई, आपने विरोध दर्ज करा दिया, शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया तो अब आप लोग अपने आसन पर चलें।

श्री सतीश महाना (सदन के वेल से)–

मान्यवर, पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी का बयान आया है कि जो न्याय मांगेगा उसके ऊपर रासुका लगायेंगे।

श्री विक्रम सिंह (सदन के वेल से)–

पुलिस के 4 हजार दरोगाओं की भर्ती में 2688 की भर्ती केवल दो जिलों से ही हुई है। योग्यता के अनुसार भर्ती नहीं की गई है इसलिए इसमें सी0बी0आई0 जांच करवाई जाए।

(सदस्य श्री उपेन्द्र तिवारी के मा0 अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप लड़ना चाहते हो हमसे, अरे! आप यहां आओ अपनी बात बताओ। आप लोग अपने आसन पर चलें, जब आपसे कह दिया गया कि इस पर नियम–56 में सूचनाएं आई हैं, इसमें मा0 सतीश महाना की सूचना है, ठा0 दलवीर सिंह की सूचना है, कई लोगों ने सूचनाएं दी हैं तो जब नियम–56 आयेगा तो आप अपनी बात कह लीजिएगा, अभी आप अपने स्थान पर चलें।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य सदन के वेल से अपने आसन पर चले गये।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस दरोगाओं की भर्ती पर जिस तरीके से यहां पर सरकार सौतेलापन कर रही है, इस पर मैं सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जब नियम–56 आयेगा तो आप उस समय अपनी पूरी बात कह लीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अभ्यर्थी और दरोगा अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, आन्दोलन कर रहे हैं, जगह–जगह पुलिस उन पर लाठियां भांज रही है इसलिए इस पर मैं सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके चर्चा कराने की मांग करता हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, चूंकि सरकार इस पर बहस नहीं करना चाहती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार के रवैये के खिलाफ सदन का बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 आयेगा तो आप अपनी बात कह लीजिएगा आप तो पहले ही बहिर्गमन कर गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आज पूरे प्रदेश के नौजवानों से उनके रोजगार मिलने के मामले में जिस प्रकार से धांधली सामने आई है, उससे नौजवान बहुत आक्रोशित है। मान्यवर, नियम–311 में सदन की सारी कार्यवाही निलंबित करके सुनने का प्राविधान है तो आप कृपा पूर्वक सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 में श्री दलवीर सिंह जी ने, आपकी पार्टी के सतीश महाना जी ने, सबने नियम–56 में दे दिया तो अब नियम–311 का औचित्य नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमारा अनुरोध है मान्यवर कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए इस विषय को नियम–311 में सदन की सारी कार्यवाही रोककर सुन लीजिए।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने इसे नियम–311 में उठाया है और यह नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए इस पर पहले सुन लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

इस पर बहस हो चुकी है कि नियम–311 नहीं लिया जायेगा और जो बात आप उठाना चाहते हैं आगे नियमों में उसका प्राविधान है तो क्यों अभी शोर मचा रहे हैं, प्रश्न हो जाने दीजिए। आज दो ही सवाल हैं।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा पुलिस भर्ती घोटाला हुआ है इसलिए सदन की सारी कार्यवाही रोककर पहले इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी, बैठिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के लाखों नौजवानों से जुड़ा हुआ मामला है। पुलिस की भर्ती में घोटाला हुआ है। मान्यवर, आजकल आप देख रहे हैं कि नौकरियों में व्यापक घोटाले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो व्यापमं घोटाला हुआ है उसी तरह का घोटाला यह भी है। मध्य प्रदेश में व्यापमं घोटाले की तरह सिपाही भर्ती का घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी सी0बी0आई0 जांच करायी जाये और नियम–311 में हम लोगों ने सूचना दी है बाकी लोगों ने नियम–56 में दी है।

(इसी बीच श्री सुरेश राणा, श्री सतीश महाना, श्री विक्रम सिंह, श्री संगीत सिंह सोम सहित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन की वेल में आ गये जिससे शोर/व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग फिर वेल में आ गये। अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो बजट पास करा दो जाओ घर, व्रत वगैरह रहते होंगे, भूखे होंगे क्यों परेशान कर रहे हो।

देखिये महाना जी, आपने नियम–56 में दिया, जब नियम–56 आता तब बोलते, आपका नियम–311 में है नहीं, तो आप क्यों यहां खड़े हैं ? आप अपने आसन पर चलिये।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, मैंने नियम–56 में दिया है लेकिन मेरी पार्टी ने नियम–311 में इस विषय में सूचना दी है। पार्टी का विधायक होने के नाते हम यहां पर हैं। आज नौजवान परेशान है, कुण्ठा से ग्रसित है, पुलिस भर्ती में व्यापक घोटाला किया गया है। हद तो तब हो गयी जब उत्तर पुस्तिका में व्हाइटनर लगाकर उसे ठीक किया गया है।

(श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री अजय कुमार लल्लू, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी सहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी सदन की वेल में आ गये।)

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (वेल से)–

मान्यवर, हमने नियम–311 में नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर चलिये। अब कुछ नहीं लिखा जायेगा और न यह कार्यवाही का अंग माना जायेगा। अब चाहे जितना बोलिये। अब हो गया। अरे अभी मुख्य मंत्री जी आयेंगे, आप यहॉ क्यों खड़े हैं। उधर से आईये। अब आप लोग चलिये, सवाल ले लेने दीजिए।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

अब यह नहीं लिखा जायेगा, दो सवाल हैं उसे ले लेने दीजिए, क्यों जिद कर रहे हैं ?

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

मान्यवर, कांग्रेस की नियम–311 की नोटिस पर समूचा विपक्ष चर्चा की मांग करता है।

श्री अजय कुमार लल्लू (वेल से)–

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, पुलिस भर्ती घोटाला बहुत ही बड़ा मामला है, हजारों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

श्री सतीश महाना (वेल से)–

मान्यवर, नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। यही नौजवान हमारे भारत के भविष्य हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने–अपने आसन पर चलिये। जोशी जी, आप मेयर रही हैं और यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रही हैं नियमों की जानकार हैं तो आप क्यों यहॉ खड़ी हैं ?

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

हरियाणा के तत्कालीन मुख्य मंत्री भर्ती घोटाले में ही जेल में है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जेल जाने वाले हैं।

श्री अजय कुमार लल्लू (वेल से)–

ख्ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें कुछ लिखा नहीं जायेगा, न ही यह कार्यवाही का अंग बनेगा, चाहे जितना बोलो।

श्री अजय कुमार लल्लू (वेल से)–

ख्ग ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

आपने बहुत मजबूती से पकड़ा है, लड़के आन्दोलन कर दिये तो आप हल्ला करने लगे। आप लोग अपने आसन पर चलिये।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप ही तो हमारी बात सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष–

नियमों के अन्तर्गत ही तो इस पर चर्चा होगी। आपने तो नियम–56 में लिखकर दिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्ग ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

यह सब कुछ लिखा नहीं जाएगा। सदन में चर्चा के लिए समय निर्धारित है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री वीरपाल राठी–

ख ग ग ग ,

श्री बंशीसिंह पहाड़िया–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

घोटाले तो यहां से दिल्ली तक हुए हैं। एक ही घोटाला नहीं है। आप लोग अगर चलाना नहीं चाहते हैं तो हम बजट पास करें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमारी नियम–311 की नोटिस है इसलिए जब भी बोलने का मौका दें पहले हमें बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 के अन्तर्गत इस पर श्री सतीश महाना ने सूचना दी है वह भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं। श्री दलवीर सिंह ने दिया है। महाना जी आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हमारे दल से श्री सतीश महाना भी बोलेंगे। मान्यवर हमको, भारतीय जनता पार्टी को पहले बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 आएगा तो देखेंगे।

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गए)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

पहाड़िया जी दिल्ली के घाटोले के बारे में कोई ज्ञान है। आप अपने आसन पर जाएं। यह न लिखा जाएगा न कार्यवाही का अंग बनेगा न ही इसका प्रकाशन होगा। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चले गए अब आप पांच लोग यहां खड़े हैं।

(इसी मध्य वेल में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गए)

(वेल से)

श्री वीरपाल राठी–

इस मामले की सी0बी0आई0 जांच करवा लें। यह छोटा मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम–56 में इसकी सूचना दी है उस समय अपनी बात रखें। राठी जी आप भी जाइए सब लोग चले गए हैं।

(वेल में उपस्थित सदस्य श्री वीरपाल राठी अपने आसन पर चले गए)

(इसी मध्य कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन त्यागकर चले गए)

ख11.10, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं के गिरते स्तर को सुधारने के उपाय

'01–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदेश में संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की सेवायें शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी ली जाती हैं ? यदि हां, तो क्या प्राइमरी शिक्षा के गिरते स्तर को ध्यान में रखते हुये सरकार इसे समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

जी हां।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य लिये जाने का प्राविधान है :–

> ''किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना आपदा राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से सम्बन्धित कार्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा।''

तथा उक्त क्रम में प्रख्यापित उ0 प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियमावली, 2011 में शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त निम्न कार्य लिये जाने का प्राविधान है :–''शिष्य–अध्यापक अनुपात को बनाये रखने के उद्देश्य से किसी विद्यालय में पदस्थित कोई अध्यापक किसी अन्य विद्यालय अथवा कार्यालय अथवा किसी गैर शैक्षणिक उद्देश्य जो दशकीय आबादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कर्तव्यों से इतर हो, में सेवा हेतु नहीं लगाया जायेगा।''

उक्त अधिनियम/नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को न लगाये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 03–09–2012 द्वारा निर्गत किये गये हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद और आभार कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार का सवाल अनेकों बार सत्र में आया है और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया है और यह माननीय मंत्री जी ने स्वंय भी माना है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर शिक्षकों का अभाव है और शिक्षकों के अभाव को देखते माननीय मंत्री जी को मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति भी की है। इसके लिये मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अन्दर जिस तरह से शिक्षकों से, शिक्षा मित्रों से जिस तरह से अतिरिक्त काम लिया जा रहा है तो क्या सरकार इस काम को शिक्षकों के अभाव में क्या वापस लेगी नम्बर एक। नम्बर दो, कि जो प्राइवेट विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विद्यालय का समय चेंज किया गया है और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का समय भी चेंज किया है कि 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय का समय रहने वाला है। तो क्या माननीय मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और ऐडेड हैं, सरकारी विद्यालय क्या इनका सभी का समय एक जैसा निश्चित करने का सरकार काम करेगी ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो इच्छा जाहिर की है, शिक्षक को इसलिये हमेशा से, यह कोई नई बात नहीं है इस सरकार में, चुनाव में उनकी डयूटी इसलिये लगाई जाती है कि शिक्षक से यह उम्मीद की जाती है कि वह जिस तरीके से बिना भेद–भाव के छात्रों को शिक्षा देते हैं, उसी तरह से बिना भेद–भाव के चुनाव के कार्यों में निष्पक्ष रूप से काम करेंगें। इसलिये शुरू से उनकी ड्यूटी चुनाव कार्यों में लगाई जाती है। वह सब जो कार्यक्रम लगाये जाते थे, ज्यों ही यह सरकार बनी, यह जरूर है कि कहीं–कहीं जिलाधिकारी दूसरे कार्यों में भी लगा देते हैं। तो मान्यवर, जैसे ही सरकार बनी हमने मुख्य सचिव जी से आग्रह करके जी0ओ0 करवाया और हर जिलाधिकारी को निर्देश भेजा गया कि केवल चुनाव सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर दैवी आपदा और 10 वर्षीय जनगणना के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्यक्रम में किसी शिक्षक और शिक्षामित्र की ड्यूटी न लगाई जाय। यह 3–9–2012 का जी0ओ0 है और सभी जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव ने इसके बाबत निर्देशित भी किया। दूसरा जो आपने समय का कहा, मैं तो सदन में पहले ही कह चुका हूं कि अब सरकारी प्राथमिक, जूनियर और ऐडेड में यह तीनों स्कूलों के लिये जी0ओ0 हो गया है। यह 1 अप्रैल से ही नया शिक्षा सत्र चालू होगा और उसमें 1 अप्रैल से 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय का समय किया गया है। और कोई प्रश्न ?

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि अभाव भी है और अतिरिक्त काम भी उनसे लिया जाता है। क्या सरकार शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का वेतन बढ़ाने पर विचार करेगी।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने अच्छा सा प्रश्न किया है शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा रहा है तो जितना शिक्षकों की तनख्वाह थी उतनी शिक्षामित्रों की तनख्वाह हो गई। तो शिक्षा मित्रों की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल ही नहीं है समय बदल गया है शिक्षकों के जितना इनका वेतन हो गया है। एक बात यह कहना चाहते हैं बी0एल0ओ0 की ड्यूटी शिक्षामित्रों की लगती है वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए। इसके लिए मैंने सचिव को निर्देश दिए हैं कि आप हर जिलाधिकारी और हर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश भेजें कि बी0एल0ओ0 में जिनकी ड्यूटी लगे, तीन बजे तक हमारा स्कूल बन्द होता है उसके बाद इनकी ड्यूटी हो क्योंकि इसके लिए उनको एक्सट्रा खर्चा भी मिलता है सरकारी तनख्वाह के बाद जो बी0एल0ओ0 ड्यूटी करता है उसको एक्सट्रा खर्चा मिलता है और टीचर भी अगर ड्यूटी करता है तो उसके लिए उसको भी एक्सट्रा खर्चा मिलता है तो चुनाव के समय तो छुट्टी हो ही जाती है फिर भी उनको मिलता है। बी0एल0ओ0 की ड्यूटी तीन बजे जब हमारा स्कूल बन्द होता है उसके बाद लगाने के निर्देश हर जिलाधिकारी को भेजे गए हैं।

मान्यवर, दो सवाल मेरे हैं एक तो प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने स्वंय जवाब दिया है कि कोई शिक्षक किसी दूसरे विद्यालय में कोई गैर शिक्षित काम नहीं करेगा। मेरी जानकारी में है कि शिक्षक पांच–पांच, छः–छः, आठ–आठ विद्यालयों की बिल्डिगें बनवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं तो आप सुनिश्चित करेंगे कि वह जिस विद्यालय में है मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। जिस विद्यालय में वह हैं उसके अलावा किसी विद्यालय की बिल्डिंग बनवाने का दायित्व उसे न मिले। दूसरी बात उस दिन तो आप बहुत मजबूती के साथ कह रहे थे कि शिक्षक को हम सब्जी खरीदवाने का काम देते हैं तो यह सब्जी मंगवाने का काम शैक्षणिक कार्य में कैसे आता है माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए।

मान्यवर, 2012 में सरकार बनी, अब नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था कर दी गई है कि जो विद्यालय की प्रबन्ध समिति बनी है अभिभावकों की, ग्राम शिक्षा समिति और प्रबन्ध समिति यह दोनों मिलकर स्कूल का भवन निर्माण चाहरदीवारी यह सब व्यवस्था वही करेगी। अब शिक्षक को स्कूल बनाने की जिम्मेदारी नहीं रही। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी यह बात भी सही है कि धन तो सबको आकर्षित कर रहा है ऐसा कोई अध्यापक अगर अपने मन से कोई बिल्डिंग बनायेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, एक व्यवहारिक कठिनाई आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में जैसा मैं महसूस कर रहा हूं बहुत से अध्यापक शहर के करीब क्योंकि उनको एच0आर0ए0 मिलता है अपनी नियुक्ति करा रहे हैं। एक विद्यालय में 15–20 अध्यापक नियुक्त हैं और बालक उनसे कम हैं। जो जिले के सुदूर ब्लाक हैं वहां कोई अध्यापक जाने को तैयार नहीं है बड़े अनुभवी हमारे मंत्री जी हैं और प्रयासरत भी हैं शिक्षा में सुधार करने के लिए, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि दूर–दराज क्षेत्र में अध्यापकों के लिए कोई प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ धनराशि बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है इसी बात पर मैं अपने विभाग से बहुत दिनों तक बात करता रहा मैं इस पक्ष में भी रहा कि सुदूर देहात में जो टीचर हैं उनको ही लाभ दिया जाए शहर के नजदीक वालों को, लेकिन जो केन्द्र सरकार का नियम है उसमें अतिक्रमण हो रहा है हम लोग इसमें लिखापढ़ी बाद में करेंगे अभी इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है लेकिन अब इतने शिक्षक भर्ती हो गए हैं कि कहीं शिक्षकों की कमी नहीं है बल्कि अब हमें शिक्षकों को समायोजित करने में कठिनाई हो रही है। मा0 सदस्य प्रश्न उठाते थे कि शिक्षक की बड़ी कमी है अब शिक्षक की कोई कमी नहीं है और कोई स्कूल अब बिना शिक्षक के नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि दूर–दराज वाले जिलों में जो अध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिये क्या सरकार कोई अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर रही है ? जैसे कि शहर के नजदीक वाले स्कूलों के अध्यापकों को एच0आर0ए0 दिया जाता है। मैं केवल यह चाहता हूं कि सरकार उसमें कोई व्यवस्था करा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, हमनें बता दिया है कि इसकी व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही है। इसमें नियम आड़े आ रहा है। मेरा तो मन था कि पिछड़े क्षेत्र में जो टीचर पढ़ा रहा है उसी को मानदेय दिया जाये। शहर के नजदीक वाले को मानदेय दिया जाता है, इसलिये दिया जाता है कि उसको शहर में भाड़े पर मकान लेकर रहने की व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि अगर कोई 30 किलोमीटर दूर का टीचर शहर के नजदीक स्कूल में है तो उसको भाड़े पर मकान लेना पड़ेगा। इस दृष्टि से यह व्यवस्था की गयी थी, लेकिन हमने सोंचा कि अगर पिछड़े क्षेत्र में कर दिया जाये तो जो पिछड़े क्षेत्र में टीचरों की कमी है वह पूरी हो जायेगी, लेकिन यह बात अभी नहीं बन पा रही है। लिखा–पढ़ी हम करेंगे, लेकिन अब कहीं भी चाहे दूर के स्कूल हों, चाहे नजदीक के स्कूल हों, दो महीने के अन्दर अब टीचर की कहीं कमी नहीं रह जायेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा में भारी बदलाव आया है और शिक्षकों की जो भारी कमी थी वह धीरे–धीरे पूरी होती चली जा रही है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक छोटा सा सवाल, जो आप ही के विभाग से जुड़ा है, पूछना चाहता हूं। जो मिड–डे–मील योजना है। मिड–डे–मील योजना में एक जगह है मुन्नीपट्टी और एक जगह है श्यामपट्टी, मा0 अध्यक्ष जी, डेढ़ महीने से वहां भोजन नहीं पक रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब देखिये, फिर आप घुमा कर ले गये। इस प्रश्न में इससे मिड–डे–मील का क्या मतलब है ? नहीं–नहीं, इसका कोई जवाब नहीं, आप बैठिये। ऐसा नहीं है कि चाहे जो पूछिये। आप बैठिये। आप प्रश्न पढ़कर आया करो, नियमावली पढ़ लो। यहां पूछा जा रहा है अध्यापकों से अतिरिक्त काम लेने के बारे में और आप कह रहे हैं कि वहां मिड–डे–मील नहीं बन रहा है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर टीचर नियुक्ति का प्राविधान है। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि

जिन विद्यालयों में छात्र संख्या से अधिक टीचर तैनात हैं, क्या सरकार उनको अन्यत्र स्थानांतरित करने पर विचार करेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा नया सत्र अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें हर व्यवस्था कर दी जायेगी। मानक के अनुसार जहां जितने टीचरों की आवश्यकता होगी वहां उतने टीचर होंगे।

प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने सम्बन्धी प्रकरण

'02–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विगत वर्षों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रख्यात शिक्षाविदों की कमेटी बनाकर इसके कारणों की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–तारांकित प्रश्न सं0–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

श्री अध्यक्ष–

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी हैं ? नहीं हैं। इसमें किसी ने रुचि भी नहीं दिखायी।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में पशु की जांच निःशुल्क किये जाने की मांग

01–श्री प्रदीप चौधरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पशु चिकित्सालयों पर पशुओं की जांच हेतु 5 रु0 फीस ली जा रही है एवं कृत्रिम गर्भाधान हेतु 30 रु0 लिये जा रहे परन्तु सिविल हास्पिटलों में 2 रु0 फीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालयों में पशु की जांच एवं कृत्रिम गर्भाधान को निःशुल्क करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)–

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों पर बड़े पशुओं की चिकित्सा के लिये रु0 10.00 एवं छोटे पशुओं की चिकित्सा पर रु0 5.00 निर्धारित है साथ ही पशुओं की जांच जैसे रक्त

की जांच के लिये रु0 3.00, गोबर की जांच के लिये रु0 2.50 एवं मूत्र की जांच के लिये रु0 2.50 प्रति नमूना निर्धारित है। कृत्रिम गर्भाधान के लिये पशु चिकित्सालय पर रु0 30. 00 प्रति गर्भाधान निर्धारित है। सिविल हास्पिटलों पर ली जाने वाली फीस का सम्बन्ध पशुधन विभाग से नहीं है।

पशु चिकित्सालयों पर पशुओं की जांच एवं कृत्रिम गर्भाधान को निःशुल्क करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन समिति के संस्तुतियों के लाभ दिलाये जाने की मांग

02—श्री भगवान सिंह कुशवाहा—

विधान सभा के तृतीय सत्र—2014 के 1ले मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—42 जो जनपद—इलाहाबाद के नगरीय क्षेत्र में स्थित सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश सं0—वे0आ0—2—665(111)/दस—54 (एम)2008 टी0सी0, दिनांक 26—09—2013 द्वारा वेतन समिति (2008) ग्यारहवें प्रतिवेदन के माध्यम से जारी संस्तुतियों का लाभ दिया जा रहा विषयक है के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक (बेसिक) से प्राप्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के सेवानिवृत्त शिक्षक श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी के बकाया देयकों का भुगतान किये जाने की मांग

03—श्री विजय कुमार दूबे—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी, सेवा निवृत्त शिक्षक, ग्राम इब्राहिमपुर, जिला—रायबरेली के बकाया देयकों का भुगतान कराये जाने विषयक श्री अलगू प्रसाद चौहान, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 8 मार्च, 2013, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जी हां।

शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0 प्र0 द्वारा सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद को नियमानुसार निस्तारण कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी, सेवानिवृत्त शिक्षक, ग्राम इब्राहिमपुर, जिला–रायबरेली के बकाया देयकों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में योजित रिट याचिका सं0–5959 (एस0एस0)/08 दिनांक 23–9–2008 श्री रघुनाथ प्रसाद द्विवेदी व अन्य बनाम सचिव, बेसिक शिक्षा व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 09 दिसम्बर, 2009 द्वारा याचीगण का प्रत्यावेदन दिनांक 25–11–2008 बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुए निस्तारण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम रतूली में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की मांग

04–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के वि0ख0–निगोही के अन्तर्गत ग्राम रतूली में प्रा0 विद्यालय एवं उच्च प्रा0 विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5 जनवरी, 2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के किसी प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी के निर्माण हेतु वर्ष 2014–15 में कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण चहारदीवारी निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

उक्तवत्।

जनपद लखनऊ के ब्लाक बक्शी का तालाब के प्राथमिक विद्यालय भिठाहरी के प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध प्राप्त शिकायती–पत्र पर कार्यवाही

05–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय, भिठाहरी, ब्लाक–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ में कार्यरत प्रधानाध्यापिका के सम्बन्ध में सदस्य, जिला पंचायत कन्नौज का शिकायती–पत्र दिनांक 24–01–2015 एवं मा0 पूर्णमासी देहाती, सदस्य, विधान सभा, कुशीनगर का पत्र दिनांक 10–02–2015, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

सदस्य, जिला पंचायत, कन्नौज का शिकायती–पत्र दिनांक 24–01–2015 प्राप्त हुआ है परन्तु श्री पूर्णमासी देहाती, मा0 सदस्य, विधान सभा, कुशीनगर का पत्र दिनांक 10–02–2015 सम्प्रति अप्राप्त है।

सदस्य, जिला पंचायत कन्नौज के शिकायती–पत्र दिनांक 24–01–2015 के साथ संलग्न श्री हरिश्चन्द्र वर्मा, ग्राम प्रधान गोयला, मुरलीपुर,

तहसील–बी0के0टी0, जनपद लखनऊ के पत्र जिसमें प्रा0वि0 भिठाहरी, ग्राम पंचायत गोयला में कार्यरत प्रधानाध्यापिका के द्वारा किये गये अनियमित कार्यों एवं शिक्षण कार्यों में रुचि न लेने की शिकायत है, के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक बक्शी का तालाब के माध्यमिक विद्यालय गोयला के कतिपय शिक्षकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती–पत्र पर कार्यवाही

06–श्री सन्तराम कुशवाहा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोयला, ब्लाक–बक्शी का तालाब, जनपद–लखनऊ में तैनात कतिपय शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य न करने के विरुद्ध आपके कार्यालय के पत्रांक 1381/वी0आई0पी0/2014, दिनांक 29–09–2014 द्वारा निदेशक, बेसिक शिक्षा को दिये गये आदेश के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जिला बेसिक अधिकारी, लखनऊ के पत्र दिनांक 24–02–2015 द्वारा प्रकरण में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि से विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के प्रस्तावित कार्यों के विलम्ब पर कार्यवाही की मांग

07–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के कार्यों के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के दिन से मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 45 दिन के अन्दर कार्य किया जाना चाहिये ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र 130 बीसलपुर के प्रस्तावित कार्यों का वर्षों का विलम्ब होने पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप')–

योजना की गाइड लाइन के अनुसार विधायक निधि से विभिन्न योजनाओं के लिए प्रस्ताव मिलने के बाद जहां तक संभव हो सके वहां तक सभी कार्यों को सम्बन्धित मा0 सदस्यों से उनका प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिन के अन्दर स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

प्रश्नकर्त्ता मा0 सदस्य की अनुशंसा पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकृत कर धनराशि 41 शवदाह गृहों के निर्माण हेतु रु0 82.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु0 49.20 लाख की धनराशि खण्ड विकास अधिकारी,

बरखेड़ा, बीसलपुर एवं बिलसण्डा को अवमुक्त की गयी है। शवदाह गृहों का कार्य निर्माणाधीन है।

31 यात्री शेड, रैन बसेरा, वृद्ध आश्रम, 3 सामुदायिक भवन, सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय, स्टेडियम में बेंच निर्माण, खडन्जा निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि रु0 195.64 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि रु0 117.384 लाख ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को उपलब्ध करायी गयी, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 5 यात्री शेड एवं एक बरातघर का कार्य निर्माणाधीन है। प्रश्नकर्त्ता की अनुशंसा के आधार पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से अवशेष कार्यों की धनराशि वापस प्राप्त कर गन्ना विभाग एवं समाज कल्याण निर्माण निगम को अवमुक्त की गयी है।

सोलर पावर जनरेटर हेतु रु0 8.791 लाख की धनराशि नेडा पीलीभीत को उपलब्ध करायी गयी, नेडा द्वारा सोलर पावर जनरेटर अधिष्ठापित कर कार्य पूर्ण कर दिया है।

सार्वजनिक शौचालय हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 6.979 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत की धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बीसलपुर, पीलीभीत को उपलब्ध करायी गयी, प्रस्तावित स्थल पर विद्युत विभाग का ट्रान्सफार्मर दूसरी जगह अधिष्ठापित होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

नगर बिलसन्डा में सार्वजनिक शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 7.93 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि नगर पंचायत बिलसन्डा को उपलब्ध कराई गयी, जो निर्माणाधीन है।

5 खड़न्जा कार्यों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 88.58 लाख की धनराशि समाज कल्याण निर्माण निगम को उपलब्ध करायी गयी, समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं। नगर क्षेत्र बिलसण्डा में विकलांग बाल आश्रम एवं रैन बसेरा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 38.38 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 60 प्रतिशत धनराशि दिनांक 18–03–2015 को समाज कल्याण निर्माण निगम को अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्नकर्त्ता, मा0 सदस्य के विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि में रु0 20.18 लाख की धनराशि स्वीकृत हेतु दिनांक अवशेष है, प्रश्नकर्त्ता से कार्यों के प्रस्ताव हो गये हैं, जिनके आगणन गन्ना विभाग से मांगे गये हैं, आगणन प्राप्त होते ही निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य स्वीकृत कर धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के विद्यालयों में छात्रों के अनुरूप शिक्षको की तैनाती

08–श्री पूरन प्रकाश–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों में छात्रों की संख्या अनुपात के अनुसार अध्यापक नहीं हैं ?

यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप उक्त जनपद में शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी हां।

जी हां।

नियुक्ति/पदोन्नति से पदों को भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में मिड–डे–मील की जांच करा कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

09–श्री पूरन प्रकाश–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद–मथुरा में मिड–डे–मील में छात्रों को दिये जाने वाले भोजन में पिछले तीन वर्षों में खामियां पायी गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लागू नहीं।

जनपद बरेली में शिक्षकों के जी0पी0एफ0 को फर्जी भुगतान में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

10–डा0 अरूण कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी जानकारी में है कि बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षकों के जी0पी0एफ0 भुगतान हेतु रु0 19 लाख का फर्जी चेक जारी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच उनके अधीनस्थ अधिकारी लेखा एवं वित्त को दी गई ? यदि हां, तो उस पर अब क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली–

जी हां।

जांच आख्या में सम्बन्धित पटल सहायक को लापरवाही का दोषी मानते हुए वित्त एवं लेखाधिकारी (मा0शि0) द्वारा विभागीय कार्यवाही की संस्तुति के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा सम्बन्धित पटल सहायक के निलम्बन की संस्तुति की गयी, जिसके आधार पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली द्वारा सम्बन्धित पटल सहायक को निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के गांवों को खारे पानी की समस्या के निदान के उपाय

11—श्री रामवीर उपाध्याय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद—हाथरस के लगभग 500 (पांच सौ) गांवों में खारे पानी की गम्भीर समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'—

जी नहीं, जनपद हाथरस में वर्ष 2005 के राजीव गांधी सर्वेक्षण के अनुसार 29 ग्रामों की 41 बस्तियों विभिन्न अशुद्धियों के कारण गुणता प्रभावित पायी गयी थी, जिनमें से 20 ग्रामों की 23 बस्तियां खारे पानी से प्रभावित थी। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में खारे पानी से प्रभावित 13 अन्य ग्राम संज्ञान में आये हैं।

जी हां।

वर्ष 2005 के सर्वेक्षण के अनुसार खारे पानी से प्रभावित 20 ग्रामों की 23 बस्तियों में से 10 ग्रामों की 11 बस्तियों को अतिरिक्त गहरे इण्डिया मार्क—ष हैण्डपम्प एवं 10 ग्रामों की 12 बस्तियों को नलकूप आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में संज्ञान में आये खारे पानी से प्रभावित 13 ग्रामों में से 01 ग्राम की पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है, 03 ग्रामों की पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन विरचन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है यथा अवशेष ग्रामों हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती दुर्गेश द्विवेदी मृतक आश्रित के पद पर सेवायोजित करने सम्बन्धी पद पर कार्यवाही

12—श्री सतीश महाना—

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती दुर्गेश द्विवेदी को मृतक आश्रित के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 125/भाजपा/वि0म0द0/ 2014, दिनांक 20—06—2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी—

जी हां।

उक्त पत्र के अतिरिक्त प्रश्नकर्त्ता मा0 सदस्य का एक और पत्र संख्या—1457/भाजपा/ वि0म0द0/2014, दिनांक 6—2—2014 प्राप्त हुआ है।

प्रकरण के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 11–9–2014 द्वारा मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, इलाहाबाद को आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर की आख्यानुसार श्रीमती दुर्गेश द्विवेदी के पति स्व0 सतीश कुमार द्विवेदी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल जिगनी, विकास खण्ड–खजुहा, जनपद–फतेहपुर की कार्यरत अवस्था में दिनांक 7–6–2012 को मृत्यु होने के पश्चात् श्रीमती द्विवेदी द्वारा दिनांक 4–4–2013 को मृतक आश्रित के रूप में सहायक अध्यापक के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्र दिनांक 18–4–2013 द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि सहायक अध्यापक पद पर सेवायोजन हेतु वे अर्ह नहीं हैं तथा लिपिक का पद रिक्त नहीं है। अतः अनुचर के पद पर नियुक्ति हेतु वे अपनी सहमति दे दें, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। तत्पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फतेहपुर के पत्र/आदेश दिनांक 15–6–2013 द्वारा श्रीमती दुर्गेश द्विवेदी की मृतक आश्रित के रूप में अनुचर के पद पर नियुक्ति कर दी गयी है जिसके अनुपालन में श्रीमती द्विवेदी द्वारा सम्प्रति कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

उक्तवत्।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक सिटी की ग्राम सभा नौहा को मूलभूत सुविधाओं का अभाव

13–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मिर्जापुर के सिटी ब्लाक अन्तर्गत ग्राम सभा–नौहा को डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास हेतु चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त ग्रामसभा में अभी तक सी0सी0 रोड, के0सी0 ड्रेन का निर्माण तथा बिजली का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समग्र ग्राम विकास मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

जी हां। जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड–सिटी के राजस्व ग्राम–नौहा का चयन डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में किया गया है।

चयनित राजस्व ग्राम–नौहा में रु0 30 लाख का आवंटन सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन हेतु किया गया था। उक्त धनराशि से 900 मीटर सी0सी0 रोड तथा 1440 मीटर के0सी0 ड्रेन का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत उक्त ग्राम एच0टी0 मेन्स से पूर्व से जुड़ा था। कार्य योजना के अनुसार अन्य गलियों एवं मजरों के विद्युतीकरण हेतु तार, पोल एवं परिवर्तक लगा दिये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ख11.28 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 52 सूचनायें प्राप्त हुयीं, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवां का नाम बदलकर डुमरियागंज के प्रथम विधायक मरहूम काजी मो0 अदील अब्बासी के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सत्यवीर मुन्ना की है। नहीं हैं। (अस्वीकार)

तीसरी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की– दिनांक 02–01–2015 को असम राइफल्स के शहीद हुये जनपद मेरठ निवासी सूबेदार रामेश्वर प्रसाद के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद कुशीनगर के हाटा ब्लाक तथा पडरौना ब्लाक के विपणन गोदाम में तैनात तत्कालीन एस0एम0आई0 द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री राधेश्याम की है। यह भी नहीं हैं। (अस्वीकार)

छठी सूचना श्री विनय तिवारी की उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति से वंचित पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री कृष्ण कुमार ओझा की जनपद बहराइच के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद बलिया से लापता युवती आफरीन परवीन की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नौंवी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना डा0 सियाराम सागर की जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।

ग्यारहीं सूचना श्री शमीमुल हक की। नहीं हैं। (अस्वीकार)

बारहवीं सूचना श्री प्रदीप चौधरी की जनपद सहारनपुर के नलकूप खण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

तेरहवीं सूचना श्रीमती चन्द्रा रावत की जनपद लखनऊ स्थित ग्राम गोमी खेड़ा के पास लोनी स्केप पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौदहवीं सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत में किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

पन्द्रहवीं सूचना श्री मोहम्मद जासमीर अन्सारी की है। यह भी नहीं हैं। (अस्वीकार)

(कई सदस्यों के खड़े होकर अपनी सूचना को स्वीकार करने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग ही बताइये, किसकी सूचना लें, किसकी न लें। जो सूचनाएं स्वीकार हुई थीं, उनमें से 04 मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं। इनके स्थान पर हम वेटिंग से श्री सुरेश बंसल, श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्री अखिलेश प्रताप सिंह की सूचना ले रहे हैं। बस, यह तीन सूचनाएं हो गईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :–

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सतीश महाना, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री मनीष असीजा, डा0 अरूण कुमार, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री सुधीर कुमार, श्री आशीष कुमार यादव, श्री धर्मपाल सिंह, श्री काली चरन सुमन, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री उदयराज, श्री अमरपाल शर्मा, श्री दिलनवाज खान, श्री पूरन प्रकाश, श्री सुदेश शर्मा, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री विजय कुमार दुबे, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान, श्री मदन चौहान, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री अनिल कुमार, श्री रामचन्द्र यादव, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया और श्री हरविन्दर साहनी उर्फ रोमी साहनी।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी मानी गई।)

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवां का नाम बदलकर डुमरियागंज के प्रथम विधायक मरहूम काजी मो0 अदील अब्बासी के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

ख्मान्यवर, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि संयुक्त जनपद बस्ती में स्व0 काजी अदील अब्बासी एक अति सम्मानित व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं निःस्वार्थ समाजसेवी थे तथा जिले में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर उनका काफी प्रभाव था जिनकी क्रिया–कलापों से आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों दिमाग में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जीवित हैं। क्षेत्रीय जनता की यह मांग है कि महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम से सामु0 स्वास्थ्य केन्द्र बेवां का नाम मरहूम काजी मा0 अदील अब्बासी राजकीय चिकित्सालय के रूप कर दिया जाय। इस कार्य से उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और क्षेत्रीय जनता को इस बात की जानकारी भी होगी कि वह कौन थे और देश के प्रति उनकी क्या–क्या कुर्बानियां थीं।

यह भी उल्लेखनीय है कि मरहूम अब्बासी वर्ष 1920 में केन्द्रीय लाहौर जेल में निरुद्ध थे इनके साथ ''वन्दे मातरम्'' समाचार–पत्र के सम्पादक, लाला लाजपत राय, सरदार खड़क सिंह आगा सफदर, मलिक लाल खां और बहुत से सेनानी जेल में निरुद्ध थे और वर्ष 1937, 1946, 1952 में उन्होंने डुमरियागंज विधान सभा का प्रतिनिधित्व भी किया था।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।,

दिनांक 02 जनवरी, 2015 को असम राइफल्स के शहीद हुए जनपद मेरठ निवासी सूबेदार रामेश्वर प्रसाद के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

ख्महोदय, दिनांक 02–01–2015 को भारतीय सेना की 12 असम राइफल में तैनात सूबेदार रामेश्वर प्रसाद की आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए जिनका अन्तिम संस्कार परिवार की उपस्थिति में राजकीय एवं सैन्य सम्मान के साथ मेरठ में हुआ। इनके परिवार में वृद्ध पिता एवं दो बेटे शिक्षारत् हैं। उत्तर प्रदेश सरकार सेना में ड्यूटी करते हुए शहीद होने वाले उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले प्रत्येक जवान को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती रही है। लेकिन शहीद सूबेदार रामेश्वर प्रसाद के परिवार को अभी तक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। जबकि उनके साथ–साथ या उनके उपरान्त शहीद होने वाले जवानों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो गयी है। जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा भी शहीद सूबेदार रामेश्वर प्रसाद को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की संस्तुति की जा चुकी है। रामेश्वर प्रसाद के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद कुशीनगर के हाटा ब्लाक तथा पडरौना ब्लाक के विपणन गोदाम में तैनात तत्कालीन एस0एम0आई0 द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्महोदय, आपको अवगत कराना है कि कुशीनगर जनपद के हाटा ब्लाक के विपणन गोदाम पर तैनात एस0एम0आई0 संजय पाण्डेय जो वर्तमान में बस्ती के जिला खाद्य विपणन अधिकारी के पद तथा एस0एम0आई0 श्री गोरखनाथ त्रिपाठी पडरौना ब्लाक का विपणन गोदाम पर तैनात थे। इन दोनों के द्वारा धान खरीद में किसानों द्वारा न करके राइस मिलों की सांठ–गांठ से फर्जी तरीके से धान खरीद लिया गया जिसकी शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से की गयी थी। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तैनाती के समय वर्ष 2011–12 में पी0डी0एस0 के तहत आये खाद्यान्न चावल तथा गेहूं, चीनी को राशन दुकानदारों को न देकर स्वयं बेंच दिया था तथा उक्त वित्तीय वर्ष में गरीबों को देने के लिये दाल भी आया था जिसकी जानकारी राशन दुकानदारों को न ही दी गयी और न ही कार्डधारकों को दी गयी थी और एस0एम0आई0 द्वारा स्वयं बेचकर पैसा पी0डी0एस0 के एकाउन्ट में नकदी के रूप में जमा किया गया था जिसकी शिकायत तमाम दुकानदारों एवं राजनेताओं द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से की गयी थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण जांच उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति से वंचित पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय तिवारी–

ख्महोदय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन जनपद लखनऊ के प्राथमिक विद्यालयों में जून, 2013 में प्रोन्नति से वंचित पात्र सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत दिनांक 26–02–2014 को स्वीकृत सूचना के उत्तर में बेसिक शिक्षा मंत्री के अर्द्धशा0 पत्र दिनांक 12 जून, 2014 द्वारा सम्बन्धित सदस्य को अवगत कराया गया है कि कतिपय शिक्षक अनुपस्थित रहने के कारण पदोन्नति हेतु शेष रह गये। आचार संहिता लागू होने के कारण गत माह तक अध्यापकों की पदोन्नति नहीं की जा सकी है। शेष रह गये पात्र अध्यापकों की पदोन्नति नियमानुसार कर दी जायेगी किन्तु प्रश्नगत पदोन्नति की कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है जबकि आचार संहिता समाप्त हुये कई माह व्यतीत हो चुका है। पदोन्नति से, वंचित सहायक अध्यापकों के मन में यह कुंठा व्याप्त है कि उन्हें पूरी सेवा में अपने ही बैच के अध्यापकों से जूनियर रहना पड़ेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जून, 2013 में प्रोन्नति से वंचित जनपद लखनऊ

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के प्राथमिक विद्यालयों के पात्र सहायक अध्यापकों की तत्काल प्रोन्नति की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्ण कुमार ओझा–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 285 महसी के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़क अत्यन्त जर्जर हालात होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के समय जलभराव काफी हो जाता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है। जो गांव निम्नवत् है :–

1–ग्राम सभा घूरदेवी बेलहा बहरौली सगहा चौराहा तक।

2–विकास खण्ड फखरपुर के अन्तर्गत कनेरा चौराहा से पट्टी कमालपुर होते हुए बमियारी तक।

3–विकास खण्ड तेजवापुर के ग्राम सभा भकला गोपालपुर के मजरा कन्जी तक।

4–विकास खण्ड तेजवापुर के ग्राम सभा खसहा मोहम्मदपुर के मजरा मानिकपुर तक।

5–विकास खण्ड महसी के ग्राम सभा सिकन्दरपुर से मजरा लोधन पुरवा तक पक्की सड़क का डामरीकरण निर्माण आदि।

6–विकास खण्ड महसी के ग्राम पंचायत गेरठी गुरुदत्त के मजरा विशनूपुरवा तक आदि पक्की सड़क का निर्माण/मरम्मत कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम सभा की निम्नलिखित सड़कों का मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बलिया से लापता युवती आफरीन परबीन की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि श्रीमती अकबरी खातून पत्नी जमशेद अहमद निवासी सुखपुरा, तहसील–बांसडीह, थाना–सुखपुरा, जनपद बलिया की पुत्री आफरीन परवीन उम्र 17 वर्ष जो गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय करनई, बलिया में बी0ए0 प्रथम वर्ष की छात्रा है। दिनांक 29–01–2015 को सुबह 10 बजे विद्यालय के लिये गई।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालय से छुटने के बाद जब वह घर वापस आ रही थी तभी रास्ते में ही मु0 यूनुस शाह पुत्र स्व0 यूसुफ शाह निवासी ताखा, थाना–गड़वार बलिया अपने साथियों के स्कार्पियो गाड़ी नं0–यू0पी0–60 आर0–9192 से प्रार्थिनी की पुत्री आफरीन परवीन को गाड़ी में बैठाकर उठा ले गये। प्रार्थिनी ने दिनांक 01–02–2015 को थाना सुखपुरा में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई परन्तु आज तक नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट कर मांग करता हूं कि प्रार्थिनी की पुत्री आफरीन परवीन की बरामदगी कराये जाने एवं नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कराते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।,

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

ख्होदय, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद अलीगढ़ के बरौली विधान सभा के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्ग क्षतिग्रस्त है। जिसके कारण आम जन का चलने में काफी कठिनाई होती है। इन महत्वपूर्ण मार्गों की विशेष मरम्मत कराने की आवश्यकता है।

1–कलाई बम्बा से गिरधर पुर होते हुए छिड़ावली ग्राम तक।

2–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से माछुआ में मुस्लिम बस्ती में होते हुए मस्जिद तक मार्ग लगभग 800 मीटर।

3–राजवहा से हरदुआ ग्राम से होते हुए ढसन्ना इब्राहिमाबाद मार्ग।

4–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से ग्राम गड़िया तक।

5–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से बड़ागांव ऊखलाना मार्ग।

6–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से ग्राम भवनगढ़ी मार्ग।

7–साधू आश्रम पनेठी मार्ग से बिजली घर इटावली से मुस्लिम बस्ती ग्राम सिल्ला मार्ग।

8–हरदुआगंज माछुआ मार्ग से मुस्लिम बस्ती ग्राम नरेन्द्रगढ़ी मार्ग।

9–एन0एच0–91 से कंदौली मार्ग।

10–एन0एच0–91 से राइट मार्ग से सूजापुर मार्ग।

11–रामघाट रोड हरदुआगंज से मोरथल मार्ग।

अतः मैं निम्न सम्पर्क मार्गों को विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 सियाराम सागर–

ख्महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद चित्रकूट के ग्राम बरेठी, पोस्ट औदहा, थाना पहाड़ी में कोई भी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण स्थानीय छात्र–छात्राओं को 10 कि0मी0 से भी अधिक दूरी तय करके अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। जिससे उनका सारा समय आने–जाने में ही व्यतीत हो जाता है एवं अत्यन्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त ग्राम में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं ताकि इससे समस्त ग्रामवासी लाभान्वित हो सकें।,

जनपद सहारनपुर के नलकूप खण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर में नलकूप खण्ड सहारनपुर कुछ समय पहले तक जनपद के समस्त विकास खण्डों में विभागीय कार्य कराता था परन्तु जनपद सहारनपुर के गंगोह, ननौता व रामपुर मनिहारन विकास खण्डों को नलकूप खण्ड जनपद शामली में जोड़ दिया गया है। इन क्षेत्रों के क्षेत्रवासियों को जनपद मुख्यालय पहुंचने हेतु सहारनपुर की अपेक्षा शामली जाने में अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिये कई बार किसान नलकूप विभाग से सम्बन्धित अपने कार्यों हेतु जनपद शामली नहीं जा पाते, इसलिये जनपद सहारनपुर के गंगोह, ननौता व रामपुर मनिहारन विकास खण्डों को नलकूप खण्ड जनपद शामली से हटाकर नलकूप खण्ड जनपद सहारनपुर में जोड़ा जाय।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ स्थित ग्राम गोमी खेड़ा के पास लोनी स्केप पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती चन्द्रा रावत–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र 176–मोहनलालगंज के अन्तर्गत, ब्लाक–गोसाईगंज, जनपद–लखनऊ के एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम–गोमी खेड़ा के पास लोनी स्केप पर एक पुल बनाये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां पर पुल न होने के कारण उस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोनी स्केप पर वहां पुल बन जाने से ब्लाक–गोसाईगंज के मकदूम नगर, खेमा खेड़ा, जौखण्डी, सहजादपुर, बहरौली, केवली, करसण्डा, खवास खेड़ा आदि ग्राम पंचायतों के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिल सकेगी।

अतः व्यापक लोकहित के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से ग्राम गोमी खेड़ा, ब्लाक गोसाईगंज, जनपद–लखनऊ के पास लोनी स्केप पर एक पुल बनाये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद बागपत के किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद बागपत में दिल्ली यमुनोत्तरी मार्ग पर सन् 1984–85 में किसानों की जमीन अधिग्रहीत किया गया था जिसमें जिलाधिकारी महोदय का आवास एवं कार्यालय, तथा कलेक्ट्रेट और चिकित्सालय बनाया गया था। जिसमें 505 रुपये की दर से प्रतिमीटर सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा दिया गया था। सन् 1987 में सोनीपथ बागपत मार्ग पर किसानों की जमीन अधिग्रहित किया गया था जिसका 750 रुपये प्रति मीटर की दर से अकवार किया गया था जिसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। इसके साथ सन् 1998 में 1250 बीघा जमीन फिर किसानों का अधिग्रहित किया गया था जिसमें सरकार द्वारा कहा गया था कि जिसकी जमीन लिया जायेगा उसको एक सरकारी नौकरी और एक मेन रोड पर दुकान दिया जायेगा किन्तु मुआवजा के बैयाने के रूप में दिया गया था। जो कि 1985–87 में जो किसानों की जमीन लिया गया था उसका कम रेट सरकार द्वारा तय किया गया था जो आज की सर्किल रेट रुपया 6000 की दर से दिया जाये। सरकार की इस रवैय्ये से किसानों को सही मुआवजा और सरकारी नौकरी न दिये जाने से सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण पर जांच कराकर प्रत्येक किसानों को एक–एक सरकारी नौकरी और मुआवजा दिलाये जाने के मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद में दिल्ली गेट से चौपला मन्दिर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र, गाजियाबाद के अन्तर्गत एक मुख्य सड़क जो दिल्ली गेट से चौपला मन्दिर के चौराहे तक जाती है पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जर्जर हालत में है। यह गाजियाबाद का मुख्य बाजार है। हजारों की संख्या में लोगों व वाहनों का आवागमन प्रतिदिन रहता है। अतः जनहित में बनना इसका आवश्यक है।

सड़क के न बनने से यहां के निवासियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः जनहित में जर्जर हालत में जिस सड़क पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 135– शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में मुख्य मार्ग से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़कें अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हालत में हैं। इसमें से कई मार्ग कच्चे हैं तथा उबड़–खाबड़ हैं। कई बार मांग करने के बाद भी यह बनाये नहीं जा सके हैं। इसमें से रश्मि मिश्रा के घर के सामने वाली सड़क पर मिट्टी का भराव देकर जनहित में बनना अत्यन्त आवश्यक है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सड़क से दक्षिण वाले जो कच्चे मार्ग हैं उसका निर्माण कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग से मांग करता हूं।,

जनपद लखनऊ में एल0डी0ए0 द्वारा पैसा जमा करने के पश्चात् भी भू–खण्ड मालिक को पजेशन न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

ख्महोदय, दिनांक 27–05–2005 को एल0डी0ए0 द्वारा सम्पन्न लाटरी के फलस्वरूप गोमती नगर विस्तार योजना में भू–खण्ड सं0 4/226 साइज 300 व0मी0 का आवंटन एल0डी0ए0 के पत्रांक सं0 423/ळछम्/05 दिनांक 28–06–2005 द्वारा विजयेन्द्र सिंह को आवंटित किया गया। आवंटन के पश्चात विकास प्राधिकरण द्वारा वांछित समस्त किश्तें, फ्री–होल्ड शुल्क, सीवर शुल्क आदि लगभग रु0 15.00 लाख (रुपया पन्द्रह लाख) एल0डी0ए0 के पास जमा करने के पश्चात दिनांक 21–08–2009 को एल0डी0एं0 द्वारा भू–खण्ड की रजिस्ट्री विजयेन्द्र सिंह के नाम कर दी गई। लेकिन रजिस्ट्री के पश्चात् भी आज तक एल0डी0ए0 द्वारा पजेशन प्राप्त नहीं कराया गया। इस प्रकार लगभग 6 वर्ष से विजयेन्द्र सिंह का पन्द्रह लाख रुपया का एल0डी0ए0 फायदा उठा रहा है। लेकिन विजयेन्द्र सिंह को अपना घर बनाने के लिए अवसर नहीं प्राप्त हो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है और निर्माण सामग्री तथा श्रमिक का मूल्य लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के विरुद्ध कार्यवाही कर, श्री विजयेन्द्र सिंह को प्लाट दिलाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत 01 सूचना श्री सतीश महाना जी की प्राप्त हुई है। इनकी सूचना नियम–51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर निर्धारित वक्तव्य की तिथि से पूर्व विधान विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाने के फलस्वरूप उन सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने के सम्बन्ध में। महाना जी, आप बतायें।

ख11.31 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं पर निर्धारित वक्तव्य की तिथि से पूर्व विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हो जाने के फलस्वरूप उन सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, इस औचित्य के प्रश्न पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग नियमों के तहत् यहां पर अपनी सूचनाएं लगाते हैं, चाहे वह नियम–51 हो, नियम–300 हो, नियम–301 या नियम–56 हो। यह जो मान्यवर, नियम–300 है, औचित्य का प्रश्न, सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित, इसको छोड़कर सारी की सारी बातें जनहित में आप कृपापूर्वक सुनते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, नियम–51 में जो हम सूचनाएं देते हैं, उसमें जो वक्तव्य मांगते हैं, वह भी अपने क्षेत्र से सम्बन्धित कामों के लिए मांगते हैं। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं, जैसे कल दिनांक 23–3–2015 को पूर्व में सदन का उपवेशन होना था, लेकिन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश पर बैठक नहीं हुई। मान्यवर, उस दिन के लिए भी कुछ वक्तव्य आपके द्वारा निर्धारित किए गए होंगे और आगे भी कोई तिथि आप निर्धारित करते हैं तथा आगे भी कार्य–मंत्रणा समिति जो भी निर्णय करेगी, वह सदन को स्वीकार होगी। जैसे मान्यवर, पहले 27 मार्च तक सदन के उपवेशन निर्धारित थे, लेकिन कार्य–मंत्रणा समिति ने अब तय किया है कि 27 मार्च को सदन का उपवेशन नहीं होगा, मान्यवर, अगर आपने कृपापूर्वक 27 मार्च के लिए कोई वक्तव्य निर्धारित किया होगा तो वह नहीं आ पायेगा, उसकी सूचना हमको नहीं मिलेगी। मान्यवर, मेरा आपसे इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से विनम्र निवेदन है कि अगर किन्हीं भी परिस्थितियों में विधान सभा पूर्व में स्थगित हो जाती है या पूर्व निर्धारित किसी तिथि को सदन का उपवेशन नहीं होता है तो जो सूचनाएं रह गयी हैं, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उस पर ध्यान आकृष्ट करा देंगे तो सूचना का जवाब मिल जायेगा, अगर ध्यानाकर्षण नहीं करायेंगे तो वह समाप्त हो जायेगी और उस तारीख की सूचना पर हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। इस औचित्य के प्रश्न पर मान्यवर,

आपका कृपापूर्वक संरक्षण चाहिए। जो जवाब नहीं आते हैं, ध्यानाकर्षण के माध्यम से माननीय सदस्यों को जवाब मिल जायें।

श्री अध्यक्ष–

जब वह वक्तव्य के लिए निर्धारित होता है और अगर असेम्बली बन्द हो जाती है और डेट नहीं रहती है तो वक्तव्य नहीं आता है, यह तो सही है। लेकिन ध्यान आकृष्ट करने का परिणाम यह होता है कि चाहे जब वह आपको जवाब चला जाता है। आपका कहना है कि वक्तव्य न ले करके ध्यान आकृष्ट कर दिया जाए, लेकिन इससे जो आपका असली मकसद है, वह तो फेल हो जायेगा। ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, मैंने सुन लिया, देखा जायेगा, बैठिए।

ख11.34 बजे, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त (31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये)[४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद–151(2) में निहित प्राविधान के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन, 2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) [४]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्तॉ उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2013 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियमॉ 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या–03–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्तॉ उत्तर प्रदेश का विशेष प्रतिवेदन संख्या–3–2007 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियमॉ 1975 की धारा–12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज सदस्यों की गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का बीसवां प्रतिवेदन ४

[†] छापी नहीं गई।

[†] छापी नहीं गई।

श्री उदय राज–

माननीय अध्यक्ष जीॅ मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का बीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1986–1987 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैॅ प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का इक्कीसवां प्रतिवेदन[४]

श्री उदय राज–

माननीय अध्यक्ष जीॅ मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का इक्कीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2007–2008 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैॅ प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का बाइसवां प्रतिवेदन[४]

श्री उदय राज–

माननीय अध्यक्ष जीॅ मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का बाइसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2001–2002 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैॅ प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का तेइसवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

माननीय अध्यक्ष जीॅ मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का तेइसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1978–1979ॅ 1979–1980ॅ 1981–82 तथा 1997–98 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से सम्बन्धित सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति 2006–2007 के तीसवां प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदनॉ प्रस्तुत करता हूं।

[†] छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का चौबीसवां प्रतिवेदन४

श्री उदय राज–

माननीय अध्यक्ष जीॅ मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2013–2014) का चौबीसवां प्रतिवदेन जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1997–1998 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित हैॅं प्रस्तुत करता हूं।

ख1.37 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–12।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 मार्च, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 23 मार्च, 2015 से दिनांक 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 23 व 27 मार्च, 2015 को सदन के उपवेशन न हों।

2–दिनांक 23 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–80, 81, 83, 87, 10, 15, 16, 31, 59, 17, 85 तथा 13 की मदें दिनांक 25 मार्च, 2015 को ली जायं।

3–दिनांक 27 मार्च, 2015 के लिये निर्धारित वित्तीय वर्ष 2015–2016 के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बन्धी अनुदान संख्या–84 तथा 26 की मदें दिनांक 24 मार्च, 2015 को ली जायं।

4–दिनांक 27 मार्च, 2015 को निर्धारित उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 के पुरःस्थापन, विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 26 मार्च, 2015 को अपराह्न 5.00 बजे ली जायं।

5–तद्नुसार दिनांक 23 मार्च, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

<u>मार्च, 2015</u>

23 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
24 मंगलवार 25 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

26 गुरुवार 1—वित्तीय वर्ष 2015—2016 के आय—व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2—5.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

27 शुक्रवार बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 अध्यक्ष जीॅ आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश सॅो जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई हैॅ सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश विषय प्रस्ताव जिसको मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया हैॅ यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है।

ख1.40 बजे, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[†] दिनांक 9 मार्च, 2015 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपी है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

जे0एस0 विश्वविद्यालय शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015४

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के तीसरे सोमवार दिनांक 7 जुलाई, 2014 के अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168 (2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, सदस्य, विधान सभा द्वारा द्वितीय सत्र, 2014 के तीसरे सोमवार दिनांक 07 जुलाई, 2014 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–51 के उत्तर के सम्बन्ध में ''उत्तर प्रदेश विधान सभा के

अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण)'' के निदेश संख्या–168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक शून्य के सम्बन्ध में निदेश संख्या–168(2) के अन्तर्गत कृत कार्रवाई का विवरण एवं संशोधित उत्तर सदन में प्रस्तुत करता हूं।

ख11.43 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24.03.2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री उमेश पाण्डेय, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री त्रिभुवन राम श्री अली युसुफ अली, श्री कालीचरन सुमन, श्री लोकेश दीक्षित, श्री मुसर्रत अली बिट्टन, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री ओम कुमार, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद देवरिया के थाना बरहज के ग्राम पिपरा भुईली की तीन नाबालिग लड़कियों की दिनांक 15.03.2015 को हुई हत्या के उपरान्त आरोपियों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना (1) श्री दलवीर सिंह, श्री सुदेश शर्मा, श्री वीरपाल राठी, श्री भगवती प्रसाद (2) श्री सतीश महाना की सिपाही भर्ती मुख्य परीक्षा के नतीजों में की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल की प्रदेश में 2001 से विद्युत उत्पादन में वृद्धि न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री राजबली जैसल, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री अली युसुफ अली, श्री कालीचरन सुमन, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री उमेश पाण्डेय, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री बहाब चौधरी, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री राधेलाल रावत, श्री सुल्तान बेग, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री राजेन्द्र, श्री उदयलाल मौर्य, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री मोहम्मद अकबाल, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री रामहेत भारती, श्री सन्तराम कुशवाहा, डा0 धर्मसिंह सैनी, श्री जयप्रकाश निषाद, श्री के0के0 ओझा की जनपद इलाहाबाद के नैनी लोकपुर में हरिश्चन्द्र पुत्र महेन्द्र की भूमिधरी जमीन पर अपराधियों द्वारा कब्जा करने एवं उसकी हत्या कर दिये जाने से सम्बन्धित नामजद प्राथमिकी दर्ज किये जाने के उपरान्त भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं :–

1–श्री सुरेश राणा,

2–श्री मनीष असीजा,

3–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),

4–श्री बब्बन सिंह चौहान,

5–श्री अखिलेश प्रताप सिंह,

6–श्री पूरन प्रकाश,

7–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,

8–श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

9–श्री अजय कुमार 'लल्लू',

10–श्री विजय कुमार दुबे,

11–श्री अगयश रामसरन वर्मा, तथा

12–श्री रामचन्द्र यादव ।

(कतिपय सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग नियम–311 में दिये थे तो नियम–56 में जब वह विषय आयेगा तो उस पर बोलियेगा। मौर्य जी, आपकी क्या राय है, पहले कौन सा विषय लिया जाये। मौर्य जी, इसमें कुल 04 सूचनायें हैं जिनको सुनना है। नम्बर एक पर जनपद देवरिया के थाना बरहज के ग्राम पिपरा भुईली की तीन नाबालिग लड़कियों का है। दूसरा, ठा0 दलवीर सिंह, मा0 सतीश महाना जी का नियम–56 में है और नियम–311 में जो दिये हैं वे भी इसी में बोलेंगे। तीसरी सूचना डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल जी की है तो फिर कहां से शुरू करें, पहले पुलिस वाला लें कि ये लें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष महोदय जी, चूंकि जनपद देवरिया में तीन नाबालिग लड़कियों के सामूहिक हत्याकाण्ड से सम्बन्धित मामला है और अत्यन्त गंभीर है। मान्यवर, चूंकि सरकार यहां हर आये दिन महिलाओं की सुरक्षा के लिये 1090 की बात करके वाहवाही लूटने का प्रयास करती है कि हम बड़े पैमाने पर उनकी सुरक्षा की चाक–चौबन्द व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन जनपद देवरिया के थाना बरहज के अन्तर्गत ग्राम पिपरा भुईली के टोला पकईपुरा निवासी कु0 इन्दु, कु0 पिंकी पुत्री बंका और कु0 प्रीती तीन लड़कियों का जिस तरीके से निर्मम और सामूहिक हत्याकाण्ड करके पूरे क्षेत्र में दहशत और भय पैदा किया गया। मान्यवर, अभी भी उसमें नामजद अभियुक्तों में से कुछ अभियुक्त गिरफ्तार होने से वंचित रह गये हैं जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घोर असंतोष है। घटना की सूचना मिलने के बाद मैंने तत्काल पुलिस अधीक्षक देवरिया से बात की और वहां पर मेरे बात करने के बाद सक्रियता तो आई लेकिन अभी भी जो उसमें मुख्य अभियुक्त है अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों बच्चियां

जो गरीब मां–बाप की बच्चियां हैं, तीनों असहाय हैं यहां तक कि एक का पिता भी नहीं है इसलिये हम सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुये इन सारी लड़कियों के परिवारों को जो बच्चियां सामूहिक हत्याकाण्ड की शिकार हुई हैं इनके परिवारीजनों को सरकार की ओर से 5–5 लाख रुपये की मदद दिये जाने की मांग करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे ये मांग करता हूं कि चूंकि यह सामूहिक हत्याकाण्ड है, नाबालिग बच्चियां हैं, दिनदहाड़े हत्या हुई, यह सामूहिक हत्याकाण्ड किया गया है इसलिये यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और मैं सदन की कार्यवाही को रोक करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह गम्भीर है और सरकार ने भी गम्भीरता से लिया है। नेता प्रतिपक्ष ने खुद कहा कि आपकी बात के बाद सक्रियता आ गई है तो सरकार इतनी निष्पक्ष है कि आपकी बात भी सुनी गई है। इसे देखेंगे जो कमी है उसे भी पूरा करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं इसका भी उत्तर चाहूंगा कि जिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई तो क्या आप उनकी भी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित करायेंगे ? दूसरी चीज, चूंकि ये बहुत ही गरीब असहाय परिवार की लड़कियां हैं यहां तक कि इसमें से एक लड़की अनाथ भी है तो क्या इन लड़कियों के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद भी दिलाने का कष्ट करेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, देखेंगे जो हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री मौर्य जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। दूसरी सूचना ठा0 दलवीर सिंह, पं0 सुदेश शर्मा, श्री वीरपाल राठी, श्री भगवती प्रसाद और श्री सतीश महाना की पुलिस भर्ती पर है और इसमें नियम–311 में कांग्रेस के लोगों ने भी दिया है तो एक–एक आदमी दो–दो मिनट बोल लो ज्यादा नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमारी भी पार्टी की एक सूचना है उसको भी इसी में शामिल कर लें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्य जी, आप नेता विरोधी दल हैं, आप बोल लीजिये क्योंकि वह जो सूची है वह उस समय–समय बीतने के बाद आई थी। आप नेता विरोधी दल हैं, आप बोल सकते हैं, बोल लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी महाना जी को ही बोल लेने दीजिए, आप फिर बोल लीजिएगा।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने इस लोक महत्व के प्रश्न के ऊपर कृपापूर्वक मुझे बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, जिस समय नौजवान अपने भविष्य की ओर देखता है तो बड़ी मेहनत के साथ वह हर परीक्षा में अपनी परीक्षा देता है और अपनी योग्यता के हिसाब से उसके मन में एक आशा और एक आकांक्षा होती है कि वह उसमें चुना जायेगा। मान्यवर, मैंने देखा है क्योंकि सुबह 5 बजे से नौजवान बड़ी संख्या में सड़क के ऊपर दौड़ लगाते हैं, अपने शरीर को फिट रखने के लिए और स्वाभाविक रूप से उस चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत गुजरने के लिए जिससे उनको गुजरना पड़ता है, वह अपने लिए प्रयास करते हैं। दिन–रात पढ़ाई करके मेहनत करके वह उस लिखित परीक्षा में भी पास होने का प्रयास करते हैं, जिसमें उनको अपना भविष्य दिखता है। पुलिस की सेवा मान्यवर, केवल उन नौजवानों के व्यक्तिगत सम्बन्धों तथा व्यक्तिगत जीवन पर आधारित नहीं होती, पुलिस की सेवा मान्यवर, पूरे प्रदेश की कानून–व्यवस्था को देखने के लिए भी होती है और कानून–व्यवस्था के साथ–साथ, प्रदेश की रक्षा करने के लिए भी होती है। मान्यवर, पुलिस एक साधारण व्यक्ति नहीं है कि कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, अच्छा करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है, अपना पूरा कार्यकाल करने के बाद चला जायेगा। मान्यवर, पुलिस में भर्ती होने वाला हर व्यक्ति, हर नौजवान की जिम्मेवारी होती है। हम शुरू से ही मान्यवर, उसको किस प्रकार से संस्कार देना चाहते हैं, किस प्रकार उसके भविष्य को उसके सामने रखना चाहते हैं कि यह तुम्हारा भविष्य है। क्या पैसे लेकर भर्ती कराने के बाद उसका भविष्य नजर आता है ? शुरूआत उसने भ्रष्टाचार से की मान्यवर, तो उसके मन और मस्तिष्क में होता है कि वह भ्रष्टाचार करके ही अपना सारा जीवन–यापन करे और मान्यवर, यह बड़ी संख्या में देखा भी गया। बहुत सारे लोग ईमानदार हैं मान्यवर। एक तरह से किसी के ऊपर बेईमानी का आरोप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से इस तरह अगर शुरूआत ही गलत रास्ते से होगी मान्यवर, तो हम उससे किसी भी प्रकार की अच्छाई की अपेक्षा नहीं कर सकते। मान्यवर, अभी पुलिस की परीक्षा हुई। प्रदेश सरकार ने बड़े जोर–शोर से कहा कि हम इतने पुलिस वालों को भर्ती कर रहे हैं। कर रहे हैं लेकिन मान्यवर, किस तरीके से कर रहे हैं, उसका आधार क्या होना चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनकी शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए। सारी–की–सारी बातें देखने के पश्चात् यह निर्णय होता है कि यह बच्चा योग्य है और यह बच्चा अयोग्य है। इसी विधान सभा में मैंने कहा था मान्यवर, कि यदि 10 लोग किसी भी परीक्षा के अन्तर्गत बैठे हैं और उसमें अगर 4 पात्र हैं और 6 अपात्र हैं तो मान्यवर, मैंने बड़े विश्वास के साथ कहा था कि अगर 4 पात्रों में से किसी एक व्यक्ति को ले लिया जायेगा तो 9 लोग नाराज नहीं होंगे, इसलिए नाराज नहीं होंगे क्योंकि उन चारों को मालूम है कि हम भी योग्य थे, यह भी योग्य था, एक व्यक्ति को लिया जाना है, इसको ले लिया गया तो वह नाराज नहीं होंगे और 6 जो अयोग्य हैं, वह तो नाराज होंगे ही नहीं, लेकिन अगर एक भी अयोग्य व्यक्ति को ले लिया जायेगा, तो 9 लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि 4 जो पात्रता

रखते हैं वह भी कहेंगे कि मेरे को लिया जाना चाहिए था और जो 6 अपात्र हैं वह कहेंगे कि अगर अपात्र को ही लेना था तो मेरे में क्या बुराई है ?

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं आपकी आज्ञा समझ रहा हूं। मैं अपने आपको सीमित रखूंगा मान्यवर, उन शब्दों के लिए। मान्यवर, पूरे प्रदेश में चार जिलों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश की जनता के मन और मस्तिष्क में उत्तर प्रदेश के पांच जिले रहते हैं। मुझे कभी–कभी याद दिलाना पड़ता है कि छठा भी है, हमारे माननीय मंत्री जी का, छठा काहे भूल जाते हैं, लेकिन इसमें वह छठा वाला नहीं है। मान्यवर, उन चार जिलों को छोड़कर, पूरे प्रदेश के हर जिले में नौजवान सड़क के ऊपर उतरा हुआ है, सारे समाचार पत्रों में है। मान्यवर, आपने कहा कि समाचार–पत्रों का संज्ञान नहीं लेते हैं लेकिन समाचार–पत्र का ही संज्ञान लेकर पूरे प्रदेश में जो जानकारी हमें समाचार–पत्रों से मिलती है, उससे यह स्पष्ट है कि उन 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में नौजवान सड़कों के ऊपर उतरा हुआ है। वह न्याय की मांग कर रहे हैं। उनके आरोप हैं कि जो उत्तर पुस्तिका लिखी गई, उसके ऊपर व्हाइटनर लगाकर गलत को सही और सही को गलत करने का काम किया गया। मान्यवर, जो नेट की ऊपर उनकी मेरिट निकली वह शाम को नौ बजे निकली। नौ बजे एक मेरिट निकली कि सामान्य वर्ग के इतने नंबर तक वाले बच्चों को लिया जायेगा, ओ0बी0सी0 इतने लिया जायेगा, एस0सी0 के इतने वालों को लिया जायेगा और कुछ ही घंटे में वह चेन्ज हो गई। कौन–सा मान्यवर, जादू हो गया कि कुछ घंटे के अंदर उसको चेन्ज करके अयोग्य बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया गया। मान्यवर, केवल इतना ही नहीं जिन बच्चों को आगे बढ़ाना है और एक शारीरिक जो प्रैक्टिकल होता है, उसके सम्बन्ध में सामान्य रूप से यह कहा जाता है कि लिखित परीक्षा ठीक कर लो, प्रैक्टिकल में हम मद्द कर देंगे। 100 में से 100 नंबर ऐसे बच्चों को देकर जो अयोग्यता के आधार पर, वह योग्य हैं या अयोग्य यह उनकी कॉपी तय करेगी, मैं तय नहीं करूंगा कोई दूसरा तय नहीं करेगा, उनको 100 नंबर देकर, उनके नंबर बढ़ाकर उनको चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ले लिया गया मान्यवर। उन बच्चों का क्या दोष है, जिनके पास नंबर है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते एक मिनट में समाप्त करूंगा। मान्यवर, जिनके पास नम्बर आ गए। मेरे पास बहुत–सारे ऐसे बच्चों के नम्बर हैं।

जिनके नम्बर कम हैं, उनको बुला लिया गया है और जिनके ज्यादा नम्बर हैं उनको नहीं बुलाया। मान्यवर, मैं इसको आपके पास भिजवा दूंगा। मान्यवर, मेरी यह मांग

है चूंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है और नौजवान को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा है। आज हम इस बात को कहने के लिए तैयार हैं जब पिछली बार पुलिस भर्तियां हुई थी, पुलिस भर्ती के कारण इनको अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी, अब दुबारा काम नहीं करें। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस बात की मांग को लेकर समाप्त कर रहा हूं कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाये। जब तक इसकी न्यायिक जांच नहीं होगी मान्यवर तब तक पूरी भर्ती प्रक्रिया रोक दी जाये। आज बहुत बड़े पुलिस अफसर का अखबार में बयान आया है कि जो नौजवान अपनी मांग मांगने के लिए कहेगा उसको रासुका में बन्द करेंगे। मान्यवर, यह अन्याय है और मैं जो स्टेटमेन्ट आया है, उसकी भर्त्सना करता हूं और मांग करता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आपने कृपा पूर्वक मुझे सुना चूंकि यह लोकमहत्व का है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री दलवीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी ने अपने ढंग से अपनी बातें रखीं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारे देहात के गांवों के बालकों के मां–बाप अपना पेट काटकर, कि उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए वर्षों से काम करते हैं। यह आशा थी सभी को कि हमारा बालक पुलिस में भर्ती होगा, मिलिट्री में भर्ती होगा इसी आशा के साथ बड़े लगन से उन्होनें परीक्षा दिलवाई। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, हर जिले में कानून–व्यवस्था बाधित हो रही है, सड़कों पर बच्चे आ गये हैं, इस पूरी चयन प्रक्रिया पर प्रदेश भर में उंगली उठायी जा रही है, लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जायेंगे। जो अपने–अपने ढंग से अपना पक्ष रखेंगे, मेरे पास काफी रिकार्ड है जो मेरिट में नहीं आये वह काल कर लिये गये और नियुक्ति–पत्र दिया गया और जो आये हैं उन्हें छोड़ दिया गया। इस तरह की विसंगति पूरी परीक्षा में पायी गयी है, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी छवि संभालने के लिए, अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन करने के लिए जो भी आरोप लग रहे हैं, इनको निश्चित रूप से न्यायिक जांच भी करानी चाहिए और पूरी परीक्षा प्रणाली पर रोक लगाई जानी चाहिए। रामायण में भी लिखा है जब सीता पर आरोप लगा था तो भगवान श्री राम ने उनके निर्दोष होने के बावजूद त्याग दिया था। (हंसी) मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी स्थिति साफ रखने के लिए यह सरकार का बड़प्पन होगा, सरकार की महानता होगी कि इस पर न्यायिक जांच कराई जाये और पूरी परीक्षा प्रणाली को नष्ट करके नये सिरे से इस पर कार्यवाही कराई जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो बाते आ चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में 41610 सिपाहियों की और 4010 सब इन्सपेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। न्याय हो और वह दिखाई भी पड़ना चाहिए। सम्पूर्ण भर्ती की प्रक्रिया जो अभी तक अपनाई

गयी है उस पर हमारी सरकार से मांग है कि उसको सार्वजनिक किया जाये। मान्यवर, उस पर पारदर्शिता दिखाई पड़नी चाहिए।

दूसरी बात मान्यवर, आज चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, शामली हो पूरे उत्तर प्रदेश में, अधिकांश जिलों में आन्दोलन चल रहे हैं अभ्यर्थी सड़क पर हैं लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप यह है कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो ओएमआर, इनकी जो उत्तर पुस्तिका है उसका आब्जेक्टिव मार्क रिकोगनीशन उसके उसमें कम्प्यूटर से 4 उत्तर दिये गये और जो उत्तर सही है अगर जिसको पास करना है उसके गलत उत्तर को व्हाइटनर से साफ करके दूसरे के ऊपर मार्क कर दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न है। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ इतना बड़ा धोखा इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है जब तक यह पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक नहीं होगी तब तक सही बात सामने नहीं आयेगी।

दूसरी बात, जिस बात के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश भर में यह इक्जाम हुआ जिन जिलों में नकल की छूट मिल गयी उन जिलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गयी और जिन जिलों में कड़ाई हुई जहां पर नकल की छूट नहीं मिल पाई उन जिलों के लोग रह गये। मान्यवर, जिन लोगों को फिजिकल में 90 परसेन्ट, 95 परसेन्ट नम्बर दिये और जिनके थ्योरी में जो इनकी लिखित परीक्षा है मान्यवर, उस लिखित परीक्षा में उनके नम्बर पास मार्क भी नहीं हैं और फिजिकल में इतने बड़े नम्बर दे दिये गये। मान्यवर, पहले परीक्षा होती थी फिजिकल और मेडिकल पहले टेस्ट होता था वह परीक्षा प्रणाली पहले बदल दी गयी मुझको उस पर कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात पर है कि फिजिकल में तो उनके 97 नम्बर, 80 नम्बर, 85 नम्बर और 95 नम्बर और उसमें जो रिटेन में हैं वह मेरिट में कहीं खड़े नहीं होते, पूरी की पूरी प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इसलिए हम चाहते हैं कि सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर इसको रद्द किया जाय, या तो पारदर्शी की जाय रद्द की जाय और नहीं सम्भव है तो मान्यवर, न्यायिक जांच कराई जाय। हम सीबीआई की जांच की मांग करेंगे तो यह कहेंगे कि हमारे पास केन्द्र में है इसलिए हम कह रहे हैं हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच करा दें।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले अनुग्रह नारायण सिंह जी को बोल लेने दीजिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 41 हजार 600 सिपाहियों के पद विज्ञापित किये और उसके लिए प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति के लिए चयन शुरू किया उसमें फिजिकल टेस्ट हुआ, रिटेन टेस्ट हुआ और रिटेन टेस्ट होने के बाद 19 मार्च को उन्होंने अभी मेडिकल फिटनेस के लिए एक लिस्ट जारी की उस लिस्ट में ऐसे लोगों का चयन हो गया जिनके ज्यादा नम्बर हैं उनका नाम नहीं आया है जिनके कम

नम्बर हैं उनका नाम आ गया है और जैसा कि हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने कहा है इसमें व्यापक घोटाले की बाते सामने आई हैं। कई बाते प्रत्यक्ष रूप से भी दर्शाई गयी हैं उसमें। सारे लड़के इसे ले के घूम रहे हैं। इलाहाबाद में और आप तो जानते हैं। मान्यवर, इलाहाबाद शिक्षा का केन्द्र हैं लगातार 15–20 दिन से हजारों छात्र सड़क पर निकलते हैं। ला एण्ड आर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। कई जगह लाठियां चली। इसी तरह लखनऊ, गोण्डा, बहराइच, बलिया, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बुलन्दशहर, नोएडा, चारों तरफ नौजवान एकदम पागल से घूम रहे हैं। 21 लाख प्रतियोगी छात्र इसमें सम्मिलित हुए। नौजवान आज मान्यवर, बेरोजगारी और मंहगाई का जमाना है किसी तरह लोग मेहनत करके काम करना चाहते हैं। जीवनयापन करना चाहते हैं। सम्मानपूर्वक रहना चाहते हैं। मान्यवर, इलाहाबाद में हमको कम से कम 400 लोग ऐसे मिले जो पीएचडी धारक हैं जिनकी योग्यता पीएचडी है। इस भर्ती के लिए इण्टरमीडिएट योग्यता है लेकिन पीएचडी के भी लड़के बेरोजगारी के कारण इसमें शामिल हो रहे हैं एमएससी, एमएड जितने भी बड़ी–बड़ी डिग्रीधारक लड़के हैं वह नौकरी पाने के लिए इसमें सम्मिलित हुए और वह सब मान्यवर, रिजेक्ट हो गये लिखित में। इस तरह से पूरे प्रदेश में जो एक शिक्षित नौजवान हैं वह परेशान हैं, हैरान हैं। उसके अन्दर आक्रोश है। आपने देखा कल यहां पर एक आत्महत्या करने के लिए चढ़ा था विधान सभा के पास। यह सारी बाते हैं यह एक गम्भीर समस्या है।

यह नौकरियों में घोटाले का मामला है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ और इसके बाद यहां पर भी भर्ती घोटाला होने जा रहा है। मान्यवर, इसमें हम चाहेंगे और जैसा की नौजवानों की मांग है कि क्या इसमें ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होगी? पिछली बार जब यहां भर्तियां हुई थी तो हाईकोर्ट ने रहम किया और इसको ठीक कर दिया, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि या तो इसको रद्द किया जाये, जैसे कि सब लोगों की मांग है या फिर इसकी सी0बी0आई0 जांच कराई जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री वीरपाल राठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नियम–56 पर बोलने का मौका दिया और जैसा कि तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने यहां पर काफी बातें कही हैं और मेरे पास आन रिकार्ड भी है। तो मैं तो केवल एक बात ही पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों दो जिलों के ही नौजवान भर्ती होते हैं? दो जिलों में 35000 लोग भर्ती कर लिये गये और क्या और जिलों में कोई नौजवान नहीं हैं? क्या एक ही विशेष जाति है जिसको भर्ती कर लिया गया है, यह बहुत ही गंभीर और अफसोस की बात है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूं, महाभारत के समय में द्रोपदी का चीरहरण हुआ था और प्रदेश में आज फिर चीरहरण हुआ है और इस सदन में भीष्म पितामह आजम खां जी बैठे हुये हैं, यह चुप क्यों हैं इस मामलें पर ? मैं अपने भीष्म पितामह जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रामपुर में भर्ती हुई, क्या बागपत में भर्ती हुई, क्या बिजनौर में भर्ती

हुई, क्या अलीगढ़ में भर्ती हुई, क्या नोयडा में भर्ती हुई? आखिर यहां के लोगों का चयन क्यों नहीं हुआ। केवल मैनपुरी और इटावा में भर्ती हुई है, क्या केवल यहीं का नौजवान मजबूत है? मान्यवर, मैं एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि जो नौजवान अपात्र हैं, कम नम्बर पाये हैं, उनको भर्ती में पास कैसे कर दिया गया है? मान्यवर जो आर.टी.आई. में सूचना मांगी गई है, वह सूचना भी नहीं दी गई है। मैं इस सदन से निवेदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आपकी पीठ से आदेश दिये जाने चाहिये कि इसकी जांच होनी चाहिये और जैसे चौटाला जी के खिलाफ कार्यवाही हुई है, उसी प्रकार जिन लोगों ने यह धांधली की है उनको जेल में भेजा जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस और दरोगा की भर्ती में खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार सामने आया है, इससे पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। मान्यवर, भर्ती के लिये वो लड़के जो सालों–साल अपने गांव की सड़कों पर दौड़ते हैं, शारीरिक तैयारी करते हैं और परीक्षा की आस लगाकर इस उम्मीद के साथ अपने फार्म भरते हैं कि मेरा पुलिस में चयन होगा, मेरा दरोगा में चयन होगा, लेकिन जब चयन प्रक्रिया को बलाये ताक रखकर के उन नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है और यह समाजवादी पार्टी की सरकार कहने के लिये तो नौजवानों की हमदर्द है, बेरोजगारों को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की बात करती है, लेकिन मान्यवर, आज वह दरोगा और पुलिस की भर्ती में ऐसे लड़के जो परीक्षा में अच्छे अंक पाये थे और जो दौड़ में भी सबसे आगे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ऐसे लोग जो दौड़ में भी फिसड्डी थे और लिखित परीक्षा में भी बहुत कम अंक पाये थे उनको भर्ती का फायदा दिया गया, इससे पूरा का पूरा नौजवान आक्रोशित है। यही नहीं मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह– जगह धरना और प्रदर्शन भी इन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। मान्यवर, इनकी गुहार सुनने के बजाय, इनकी मांग मानने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। मान्यवर, यह लोक महत्व का इसलिये है कि पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं बरती गई है। पूर्व में हमारी सरकार में भी भर्ती हुई थी। पूरे उत्तर प्रदेश से उस भर्ती के खिलाफ एक भी आवाज नहीं आई थी, सभी वर्ग, सभी संवर्ग के लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने बसपा शासनकाल में हुयी पुलिस भर्ती को सराहने का भी काम किया था । मान्यवर, क्योंकि सारा का सारा परिणाम बेवसाइट पर आ जाता था, दौड़ने वालों के जूते में चिप्स होते थे, जिनका पूरा का पूरा रिजल्ट वेबसाइट और नेट पर आ जाता था लेकिन इस बार की भर्ती प्रक्रिया में कोई भी लिखित परीक्षा का परिणाम न वेबसाइट पर आया और न उनकी दौड़–धूप शारीरिक परीक्षा का परिणाम नेट या वेबसाइट पर आया। यहां तक कि मान्यवर, जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया नियम–7(3) के अनुसार जहां पर भी फ्लूड का प्रयोग है, या जहां पर व्हाइटनर

लगाया गया है, ऐसी कापियों को निरस्त कर दिया जाता है, उस पर मार्किंग नहीं होती है, उसको जांचा नहीं जाता है। लेकिन मान्यवर, इन्होंने उन कापियों का भी परीक्षाफल घोषित किया। इतना ही नहीं मान्यवर, बड़े पैमाने पर व्हाइटनर का प्रयोग करके अयोग्य लड़कों को पास करने का इस सरकार ने निर्णय लिया। यहीं नहीं जब आज पूरी परीक्षा प्रणाली संशय और शंका के घेरे में है, भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी है तो ऐसे हालात में इस लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर, जिससे कि पूरा का पूरा नौजवान आन्दोलित है, सारे के सारे अभ्यर्थी आन्दोलित हैं, जगह–जगह धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, इसलिये मान्यवर, इसकी गंभीरता को देखते हुये, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही को रोक करके चर्चा कराने का कष्ट करें और साथ ही साथ इस बात का भी निवेदन करता हूं चूंकि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया भ्रष्टाचार के हवाले हो चुकी है, इसलिये मान्यवर, इसकी या तो न्यायिक जांच हो, या सी0बी0आई0 जांच हो, जिससे कि उन नौजवानों को उनका हक मिल सके और साथ ही साथ भर्ती बोर्ड के सारे के सारे अधिकारी, जो अनियमितता करके बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किये हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर आपका संरक्षण चाहिये और प्रदेश में हो रही बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनको न्याय मिलना चाहिये, इंसाफ मिलना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, बजाय इसके कि विपक्ष उन बच्चों को या उन कैन्डीडेट्स को, जिन्हें नौकरी में लिया गया है उन्हें मुबारकबाद देते, उनकी हिम्मत–अफजाई करते, उन पर यह जिम्मेदारी देते कि वह अपनी जिम्मेदारियों को मेहनत, ईमानदारी से पूरा करें न कि उनकी रोजी और रोजगार छीनने पर लगे हैं, यह कहां की शराफत है, कहां की अच्छी बात है। मान्यवर, यह कहां की अच्छी बात है कि एक ऐसा बेरोजगार देश जहां बादशाह ने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वायदा करके देश की बादशाहत हासिल कर ली वहां कमजोर और गरीब लोग बहुत परेशान थे, भारतीय जनता पार्टी को तो इससे खुश होना चाहिये कि उनके बादशाह का वायदा यहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया और भाजपा की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहिये कि इतनी बहुत सी नौकरियां जो इनके बादशाह नहीं दे सके, वह उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दीं। अब यह विरोध अगर हो रहा है, किसी जाति की बुनियाद पर, अगर किसी जाति के लोग उन्हें यह लगता है कि ज्यादा आ गये हैं तो मान्यवर, जो लोग जातिवाद फैलाने के जिम्मेदार हैं और जिन्होंने माहौल को प्रदूषित किया है, बरबाद किया है, खराब किया है और जो पिछले सालों में नतीजें उसके आये हैं और देश को जितना नुकसान पहुंचा है, उनसे जरूर मैं यह निवेदन करूंगा कि वह सबसे पहले हिन्दुस्तानी होने की बात करें। जाति के नाम पर अगर भर्ती पर कोई कटाक्ष करेंगे तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। मान्यवर, बिल्कुल निष्पक्ष भर्तियां हुई हैं और बिल्कुल सही लोगों की हुईं हैं, जितनी भी यहां बातें कही गई हैं वह तथ्यों से बिल्कुल परे हैं और हम सरकार की तरफ से उन

तमाम नौजवानों को, जिन्हें भर्ती में लिया गया है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार मुबारकबाद देती है और उनसे यह उम्मीद करती है कि वह एक अच्छे पुलिसकर्मी होने का सबूत देंगे, समाज को न्याय देंगे और कोई ऐसा वातावरण पैदा नहीं होने देंगे जिससे लोगों के अन्दर नफरत की भावना पैदा होती हो। मान्यवर, बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नेता विरोधी दल को सुना तथा संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना, अब मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और सरकार के भ्रष्टाचार के रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल सहित सदन का बहिर्गमन कर दिया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग भी जाना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो जाएं।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेश कुमार खन्ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री अनुग्रह नारायण सिंह एवं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के श्री दलवीर सिंह अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ विरोध करते हुए सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष–

डा0 अग्रवाल साहब आप बोलेंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने का मुझे अवसर दिया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, आज के बहिर्गमन में यह तय नहीं हो पाया कि कौन फर्स्ट आया, मान्यवर, ये दोनों ज्वाइन्ट विनर हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

फर्स्ट तो हमेशा यही रहते हैं, इनकी लड़ाई आगे से चलती है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास स्वयं सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं। वर्ष 2000–2001 में इस प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 5613 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और आज 2014–15 में 5472 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, अर्थात् इन 15 सालों में विद्युत का उत्पादन एक भी मेगावाट बढ़ने की जगह पर तकरीबन पौने दो सौ मेगावाट कम हो गया, यह स्वयं सरकार के अपने दिये हुए आंकड़े हैं। मा0 अध्यक्ष जी, बिजली का उत्पादन कम हो तो समझ में

आता है, जो सरकार ने अपने प्लान्ट लोड फैक्टर बताये हैं उसके हिसाब से औसत प्लान्ट लोड फैक्टर 60.43 प्रतिशत है जबकि पूरे देश का जो आंकड़ा है उसमें एन0टी0पी0सी0 के अपने 85 प्रतिशत हैं, पंजाब का 80 प्रतिशत, राजस्थान का 80 प्रतिशत, उड़ीसा का 86 प्रतिशत, हरियाणा का 76 प्रतिशत और इसी प्रकार से अन्य प्लान्टों के हैं। जो बिजली कम बनी, जो बिजली निकल करके बाजार में गई, उसमें जो चोरी हुई, उसके जो आंकड़े सरकार ने दिये हैं, उसके अनुसार सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि कुल 31.34 प्रतिशत की चोरी होती है। जबकि मा0 अध्यक्ष जी, पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन यह कहता है कि तकरीबन 41 प्रतिशत ए0टी0एम0सी0 लॉस है उत्तर प्रदेश का। वहीं ढेर सारे ऐसे प्रान्त हैं मा0 अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश है 14 परसेंट चोरी, पंजाब है 16 परसेंट चोरी, गोवा है 17 परसेंट चोरी, कर्नाटक है 18 परसेंट चोरी, इस प्रकार से मेरे पास सारे प्रान्तों के आंकड़े हैं। यानी कि उत्पादन भी कम हो रहा है, प्लान्ट लोड फैक्टर भी कम है और विद्युत की चोरी भी अधिक हो रही है। उसका फल है मा0 अध्यक्ष जी कि जो पीक लोड फैक्टर है जिसको मुख्य रूप से सुबह शाम का माना जाए, उसमें औसतन कमी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 15 प्रतिशत है। इससे अधिक कमी सिर्फ जम्मू और कश्मीर में है जो कि तकरीबन 20 प्रतिशत है। अब सवाल है मा0 अध्यक्ष जी कि तीन साल तो बीत गये, सरकार ने पहले ही यह वायदा किया था कि हम 2016 तक बिजली दे देंगे अब सरकार 2016 से बढ़ करके, 2019 पर आ गई है। स्थिति यह है कि पूरे देश में तकरीबन 2 लाख 23 हजार मेगावाट बिजली बनती है। हमारी जनसंख्या है साढ़े 16 प्रतिशत लेकिन हम राज्य स्रोत, निजी स्रोत, केन्द्र सरकार सबको मिला करके सिर्फ 5 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये थर्मल बिजली और हाइड्रो छोड़ भी दी जाए, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर थर्मल और हाइड्रो को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में 21 हजार मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है लेकिन हमारे यहां शून्य मेगावाट है। पूरे देश का 97 प्रतिशत सोलर पॉवर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आता है। हमारे यहां तकरीबन शून्य के बराबर है। आज के अखबार की खबर है कि राज्य सरकार ने 2013 में..

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलिए, इतिहास मत बताईये, ग्राह्यता पर बोलिये, भाषण मत दीजिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

राज्य सरकार ने 2013 में सोलर पॉवर पॉलिसी घोषित की थी और आज दो साल के बाद जा करके इनकी भारत सरकार से अण्डरस्टैंडिग बन पायी है।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय ऊर्जा का बजट आया था उस समय तो बोलने नहीं दिया, उस समय आप यह भाषण करते।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, सुन लीजिए। यह सौभाग्य है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जो एम0ओ0यू0 के आधार पर इन लोगों ने 09 हस्ताक्षर किये थे उसमें से सिर्फ एक ललितपुर वाली ऐसी है 1980 मेगावाट की जो 2016 में बिजली आयेगी और बाकी जितनी हैं अध्यक्ष जी, इनमें से किसी भी एम0ओ0यू0 की कोई बिजली नहीं आने वाली। आखिर सरकार जब यह देख रही है कि 2010 के एम0ओ0यू0 हैं तो उसके बावजूद बिजली उत्पादन नहीं हो रही है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, जो कम्प्यूटिंग, बिलिंग के आधार पर....

(इसी बीच बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल के माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये जिससे घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया। वेल में आये हुए अधिकांश सदस्य वेल में बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

अब यह क्या परामर्श करके आये हैं, आप तो बहिर्गमन कर गये थे, फिर लौट कर आ गये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया (वेल से)–

मान्यवर, सम्पूर्ण विपक्ष वेल में है और सरकार से पारदर्शिता की मांग करता है।

श्री उमेश पाण्डेय (वेल से)–

भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए, इसमें युवाओं का उत्पीड़न किया गया है।

(वेल में आये हुए मा0 सदस्य नारे लगा रहे थे।)

श्री अध्यक्ष–

डा0 अग्रवाल साहब यह तो आप ही के लोग आपको नहीं बोलने दिये और आप भी यहां आ गये। यह (ब0स0पा0) बहिर्गमन करके गये थे, वहां से मंत्रणा करके वेल में आ गये। ऐसे तो बहिर्गमन होता नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अध्यक्ष जी, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आज विधान सभा में मामला उठा है तो इस पर कोई न कोई निर्णय आना चाहिए। यह पूरी की पूरी भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त किया जाना चाहिए और न्यायिक जांच हो करके ऐसे भ्रष्टाचार को करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं और इस पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप इस पर बोल करके वाक–आउट कर गये थे फिर कैसे उसे उठाते हैं ? जिस बात पर आप वाक–आउट कर गये उसे फिर नहीं उठाया जाता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, भ्रष्टाचार चलता रहे और आंख मूंद करके हम उसको देखते रहें यह कहां का इंसाफ है?

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, विपक्ष जाति विशेष को निशाना बना रहा है, यह समाज में घृणा पैदा करने का दुष्प्रयास है और यह बहुत बुरा है, इसकी निन्दा करनी चाहिए। किसी जाति विशेष के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ घृणा पैदा करना, फोर्स जैसी भर्ती के बारे में यह कहना कि फलां जाति के लोग ज्यादा हैं, फलां जाति के कम हैं, मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष का यह आक्षेप अच्छा नहीं है क्योंकि अपनी सरकार के जमाने में जिस तरह का इनका तरीका रहा है और जिस तरह जातिगत भेदभाव फैलाया गया उसी का नतीजा है कि आज विपक्ष में बैठे हैं और सिमट कर रह गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, तथ्यहीन आरोप लगाने का सहारा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी लाखों नौजवानों के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रही है।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, जाति का संदेश अगर किसी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया इनसे ज्यादा किसी ने दिया नहीं। अगर समाज में नफरत फैलाने का संदेश तो भारतीय जनता के अलावा किसी ने नहीं दिया....

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सरकार भष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

किस तरह से इनके समय में जातिवाद को फैलाने का काम किया गया यह अपने गिरेबान में झांककर देखें। अपने कार्यकाल में किस तरह से जातिवाद का सिक्का चलाया।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री मोहम्मद आजम खां के लगातार एक साथ बोलते रहने के कारण एवं वेल में उपस्थित सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाए जाते रहने के कारण घोर व्यवधान जारी रहा।)

किसी जाति विशेष को इंगित करना, उसकी भर्तियों को इंगित करना ठीक नहीं है नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत बात गलत रहेगी सही बात सही रहेगी। मैं नेता प्रतिपक्ष की इस भावना की निन्दा करता हूं। जो उन्होंने अपनी सरकार में किया और इस सरकार के समय में जातीय मामला उठाकर आपसी झगड़ा पैदा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग तो बर्हिगमन करके चले गए थे जिस विषय पर आप बोल चुके हैं और जो विषय समाप्त हो चुका है उसे दुबारा कैसे उठा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस तरह का मसला उठाकर यह समाज में दंगा फसाद पैदा करना चाहते हैं। अराजकता फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर माहौल खराब करना चाहते हैं।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे)

यह एक षडयंत्र कर रहे हैं ताकि सड़कों पर उतरकर खून खराबा करा सकें। ख्ग ग ग,

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं तो बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

सरकार जानती है कि नेता प्रतिपक्ष और सारा विपक्ष समाज के अन्दर नफरत पैदा करके घृणा पैदा करके लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं यह अराजकता फैलाना चाहते हैं। अराजकता फैलाने का नया तरीका अख्तियार किया है विपक्ष ने खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष ने ।

(वेल में उपस्थित सदस्य इस घोटाले की न्यायिक जांच हो–जांच हो का नारा लगाते रहे।)

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 26 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(12 बजकर 41 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है। मार्शल ने सदन को यह भी सूचित किया कि आप सभी मा0 सदस्यगण के लिये दोपहर के भोजन का इंतजाम प्रथम तल पर किया गया है, आप भोजन कर सकते हैं।)

(2 बजे डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन बीस मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।)

(2 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के अनेक सदस्य "पुलिस घोटाले की सी0बी0आई0 जांच हो'', "पुलिस घोटाले की न्यायिक जांच हो'', "पुलिस घोटाले की नियुक्तियां रद्द हों'' आदि के नारे लगाते हुये वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर चलिये। अरे, चलिये–चलिये। यहां आकर चिल्लाने से अगर रद्द होता तो रद्द हो जाता। चलिये बैठिये। मा0 मौर्या जी, अब क्या किया जाये ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, चूंकि आज लाखों–लाख नौजवानों से जुड़ा यह मामला है और पूरे प्रदेश का नौजवान भ्रष्टाचार से प्रभावित हुआ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि पीठ से कोई निर्देश हो जाये कि इसकी निष्पक्ष जांच करा ली जायेगी और अभी जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसको निरस्त किया जायेगा तो हम समझते हैं कि इन नौजवानों को इंसाफ मिल जाये।

श्री अध्यक्ष–

इस पर हम कैसे निर्देश दे सकते हैं ? आप लोगों ने वहां क्या बात की है और यहां क्या कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, समाज को बांटने वालों का यह षड्यंत्र है। समाज में अव्यवस्था फैलाने वालों का यह षड्यंत्र है, क्योंकि यह लोग साम्प्रदायिक दंगे नहीं करा सके। अब इस तरह से यह लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इस माध्यम से अराजकता फैलाना चाहते हैं। मान्यवर, यह प्रदेश को बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बजाय इसके कि यह सरकार का धन्यवाद करते, यह प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और यह क्लास वार कराना चाहते हैं। यह जातियों के बीच जंग कराना चाहते हैं। यह झगड़ा कराना चाहते हैं।

ख02.20 बजे, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विभाग)

उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,23,29,72,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, इस पर कोई कट मोशन रखेगा ?

(किसी मा0 सदस्य के द्वारा कटौती का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश के नौजवानों को ठगा जा रहा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है तो हम समझते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी को इस पर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन देना चाहिये और यह भ्रष्टाचार पर सफाई दे रहे हैं। मान्यवर, यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर विपक्ष नहीं चाहता कि सदन चले आगे, तो मेरे ख्याल से बजट क्योंकि पास होना है, बहुत अव्यवस्था फैला रखी है, अब इस अव्यवस्था का असर प्रदेश में न पड़े, सड़कों और गलियों पर न पड़े, इसलिए बजट की प्रक्रिया को आप शुरू करें, बजट पास करा लें और मेरे ख्याल से तो कल का काम भी हम आज ही देख लें।

श्री अध्यक्ष–

इसको पहले पास करा लें।

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,23,29,72,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, हम निन्दा करते हैं, इस बात की कि बजट पर बहस कराये बगैर विपक्ष ने बजट पास कराया है। मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था और परम्पराओं का हनन कर है यह विपक्ष। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर मान्यवर, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, मद संख्या–24(2) प्रस्तुत करें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32–चिकित्सा

विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 55,22,05,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 55,22,05,68,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,19,38,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी, मान्यवर, कटौती रखी जायेगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, कटौती रखने के लिए सदन का व्यवस्थित होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 6,19,38,63,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 49,57,33,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई मा0 सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे।

(किसी सदस्य के कटौती प्रस्ताव न रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 49,57,33,07,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2ॉ24ॉ50ॉ98ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 2ॉ24ॉ50ॉ98ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री मनोज कुमार पाण्डेय)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्चों 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3ॉ18ॉ61ॉ96ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्चों 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3ॉ18ॉ61ॉ96ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्चों 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2ॉ03ॉ29ॉ14ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्चों 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2ॉ03ॉ29ॉ14ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग

महिला कल्याण एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूणा कुमारी कोरी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 54ॉ46ॉ11ॉ95ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 54ॉ46ॉ11ॉ95ॉ000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–92 संस्कृति विभाग

संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरूणा कुमारी कोरी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1ॉ33ॉ03ॉ01ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इस पर कोई कटमोशन रखेगा ?

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्चॉ 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 1ॉ33ॉ03ॉ01ॉ000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

ख02.33 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या 25 के अन्तर्गत नियम–51 की सूचनाओं को लेता हूं।

प्रथम सूचना श्री कमाल युसुफ मलिक की जनपद–सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

द्वितीय सूचना श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद–प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 28–01–2014 द्वारा आवंटित धनराशि से पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

प्रथम सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी में प्रस्तावित टेंवा–पश्चिम शरीरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

द्वितीय सूचना श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी की लखनऊ में जल निकासी हेतु डाली गई सीवर लाइनों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तृतीय सूचना श्री योगेन्द्र उपाध्याय की जनपद–आगरा की अवधपुरी कालोनी के फेस–1 व फेस–2, नगर निगम के बाहर होने के बावजूद नगर निगम द्वारा गृहकर की वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चतुर्थ सूचना श्री रमेश प्रसाद कुशवाहा की जनपद–रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्रान्तर्गत ब्लाक रोहनिया, ग्राम–बाबा का पुरवा में निर्मित कच्चे मार्ग पर दबंगों द्वारा किये गये कब्जे को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पंचम सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को स्थाई घोषित किये जाने तथा उनके मानदेय की धनराशि बैंक खाते में भिजवाये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्रीमती रजनी तिवारी की जनपद–उन्नाव के हसनगंज क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्त कनिष्ठ लिपिक, श्री दिनेश कुमार वर्मा को पिछली तैनाती के वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री कृष्ण कुमार ओझा की प्रदेश में बी0टी0सी0 पत्राचार वर्ष 1996 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री सतीश महाना की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र महराजपुर क्षेत्रान्तर्गत शनिगवां क्षेत्र के निवासियों को सीवर व पेयजल की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री गजराज सिंह की जनपद हापुड़ में सरकारी भवनों के निर्माण एवं सरकारी वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :–

1–श्रीमती पूजा पाल,

2–श्री मो0 जासमीर अंसारी,

3—श्री गजेन्द्र सिंह,
4—श्री आशीष कुमार यादव,
5—श्री दिलनवाज खां,
6—श्री अगयश रामसरन वर्मा,
7—श्री जय प्रकाश निषाद,
8—श्री अमित गौरव यादव,
9—श्री पंकज गुप्ता,
10—श्री संजय प्रताप जयसवाल,
11—श्री सुरेश कुमार खन्ना,
12—श्री मनीष असीजा,
13—डा0 अरूण कुमार,
14—श्री जगन प्रसाद गर्ग,
15—श्री दलवीर सिंह,
16—श्री गंगा सिंह कुशवाहा,
17—श्री पूरन प्रकाश,
18—श्री सुदेश शर्मा,
19—श्री धर्मपाल सिंह,
20—श्री रामचन्द्र यादव,
21—श्री राकेश यादव,
22—श्री सन्तराम कुशवाहा,
23—डा0 रमेश चन्द्र बिन्द,
24—श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया,
25—श्री रामसरन,
26—श्री अनिल कुमार,
27—श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
28—श्री विजय तिवारी,
29—श्री चन्द्रभान सिंह पटेल,
30—श्री शारदा प्रताप शुक्ला,
31—श्रीमती लालमुन्नी सिंह,
32—श्री कालीचरन सुमन,
33—श्री बब्बन सिंह चौहान,
34—श्री अमरपाल शर्मा,
35—श्री प्रदीप चौधरी,
36—श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

37–श्री संजय कपूर,
38–श्री लोकेश दीक्षित,
39–श्री सिनोद कुमार शाक्य,
40–श्री सुरेश बंसल,
41–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य,
42–श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,
43–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
44–श्री राजिव,
45–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
46–श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज,
47–श्रीमती रुचि वीरा,
48–श्री भीम प्रसाद सोनकर,
49–श्री वीर सिंह,
50–श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
51–श्री मो0 गाजी,
52–श्री मदन चौहान,
53–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल तथा
54–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद मुरादाबाद की विधान सभा कांठ निवासियों की दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 की दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(सदस्य श्री अनीसुर्ररहमान का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद एटा के विकास खण्ड शीतलपुर अन्तर्गत बाहरी चुंगी नगला मुरली वीरपुर से सरनऊ तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड शीतलपुर.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्अन्तर्गत बाहरी चुंगी नगला मुरली वीरपुर से सरनऊ तक के कच्चा मार्ग की ओर आकर्षित कराते हुए अवगत कराया गया है कि उक्त मार्ग अत्यन्त ही महत्वपूर्ण मार्ग है, उक्त मार्ग के कच्चा होने के कारण स्थानीय निवासियों एवं किसानों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः जनहित के इस विषय पर तत्काल उक्त मार्ग का डामरीकरण कराये जाने हेतु शासन से वक्तव्य की मांग की गई है।

उक्त सन्दर्भ में अपर मुख्य अधिकारी, एटा पंचायत, एटा के पत्र दिनांक 21–03–2015 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार जनपद एटा के विकास खण्ड शीतलपुर अन्तर्गत बाहरी चुंगी नगला वीरपुर से सरनऊ तक के सड़क मार्ग के डामरीकरण का कार्य जिला पंचायत एटा की किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है और न ही इस परियोजना हेतु जिला पंचायत एटा में कोई धनराशि उपलब्ध है।,

प्रदेश के आचार्यों/अनुदेशक/मदरसा अनुदेशकों को शिक्षा मित्रों की भांति सहायक अध्यापक पद पर पदास्थापित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

उक्त सूचना के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग की गयी है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्सार्वभौमिकरण हेतु शासनादेश संख्या–3488/15–5–99, दिनांक 18–8–99 द्वारा शिक्षा गारण्टी योजना जिसके अन्तर्गत आचार्य/अनुदेशक/मदरसा अनुदेशक आते हैं, की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से मेरिट के आधार पर तथा मदरसा अनुदेशकों का चयन मदरसा प्रबन्ध तंत्र द्वारा किया गया था। उक्त पदों पर चयनित आचार्य/अनुदेशक/मदरसा अनुदेशकों का 30 दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा कराया जाता था और नियुक्ति के उपरान्त यह शिक्षक भी शिक्षा मित्रों की भांति कक्षा 1–5 तक शिक्षकों को पढ़ाते हैं। सरकार ने जब शिक्षा मित्रों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के निनियमितीकरण का प्रशंसनीय कार्य किया तो उन्हीं के साथ–साथ सहायक अध्यापकों की चयन हेतु योग्यता रखने वाले आचार्य अनुदेशक/मदरसा अनुदेशकों को भी पत्राचार द्वारा बी0टी0सी0 कराकर सहायक अध्यापक बना देना चाहिये था। आज तकरीबन 11–12 हजार ऐसे शिक्षक सड़क पर हैं तथा उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

वक्तव्य :–

अवगत कराना है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2000–2001 में वैकल्पिक एवं नवचार शिक्षा (अल्टरनेटिव एण्ड इनोटिव एजूकेशन) अर्थात् ए0आई0ई0 एवं एजूकेशन गारण्टी स्कीम अर्थात् ई0जी0एस0 के अन्तर्गत आचार्य/अनुदेशक ई0जी0एस0 केन्द्रों में आउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु रखे गये थे तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अरबी, फारसी मदरसा बोर्ड मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चों हेतु मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत मदरसा सुदृढ़ीकरण केन्द्र संचालित किये गये। मदरसा प्रबन्ध समिति की सहमति के उपरान्त सम्बन्धित मदरसा केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई थी। मदरसा प्रबन्ध समिति द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिये एक अर्ह व्यक्ति का चयन अनुदेशक के रूप में किया जाता था। मदरसा केन्द्र अनुदेशक यथासम्भव स्थानीय व्यक्ति होने के साथ प्राथमिक स्तर हेतु उसकी न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई थी।

यह भी स्पष्ट किया जाना है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित अनौपचारिक शिक्षा योजना वर्ष 1987 में प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत पर्यवेक्षक तथा अनुदेशक रखे जाते थे। अनौपचारिक शिक्षा योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2001 में बन्द कर दी गई।

शासनादेश दिनांक 10–10–2005 के साथ पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे अनुदेशक/पर्यवेक्षकों को प्रथम वरीयता के आधार पर शिक्षा मित्र के रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने के निर्देश जारी किये गये तथा शासनादेश दिनांक 24–4–2006 एवं शासनादेश दिनांक 6 मई, 2008 में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्र के पद पर समायोजित किये जाने का तात्पर्य ऐसे अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों से है जो भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन रहे हो।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आउट आफ स्कूल बच्चों के नामांकन हेतु ई0जी0एस0 एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये थे। भारत सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा गारण्टी केन्द्र 31–03–2009 को बन्द कर दिये गये। इसी प्रकार मदरसा सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम योजना हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 से मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गई तथा यह योजना भी अस्तित्व में नहीं है।

उक्त के आधार पर यह स्पष्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा योजना तथा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत ई0जी0एस0 एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की योजना दो पृथक–पृथक योजनायें हैं। शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये शिक्षण कार्य हेतु रखे गये हैं जबकि आचार्य/अनुदेशक ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 केन्द्रों में आउट आफ स्कूल बच्चों की शिक्षा हेतु रखे गये थे। तथा इस प्रकार शिक्षा मित्र एवं आचार्य/अनुदेशक में किसी प्रकार की समतुल्यता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू हो जाने के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मित्रों की नवीन नियुक्ति शासनादेश दिनांक 02 जून, 2010 द्वारा बन्द की जा चुकी है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आचार्य/अनुदेशक/मदरसा अनुदेशकों को शिक्षामित्रों की भांति प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा पाना सम्भव नहीं है।,

जनपद रामपुर अन्तर्गत क्षतिग्रस्त विलासपुर मिल्कखानम स्वार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(सदस्य श्री संजय कपूर का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीदनगर में लड़कियों हेतु बालिका इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरपाल शर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्जहां की आबादी लगभग 7 लाख अल्पसंख्यक बाहुल्य है। यहां पर अल्पसंख्यक लड़कियों की शिक्षा हेतु एक बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। लड़कियों हेतु एक भी इण्टर कालेज नहीं है। यदि एक बालिका इण्टर कालेज खुल जायेगा तो वहां के निवासियों, मुख्ययतः अल्पसंख्यक लड़कियां जो सहशिक्षा वाले स्कूलों में दाखिला नहीं लेती हैं ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक लड़कियों की शिक्षा बाधित होती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद की शहीदनगर में लड़कियों हेतु बालिका इण्टर कालेज खुलवाये जाने की सरकार से मांग की गई है।

वक्तव्य :–

उक्त के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (मा0) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 05 कि0मी0 की परिधि में नवीन हाईस्कूल तथा 07–10 कि0मी0 की परिधि में इण्टर कालेज की स्थापना का प्राविधान किया गया है। जनपद–गाजियाबाद की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद के शहीदनगर में 05 कि0मी0 से 10 कि0मी0 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के निम्नलिखित विद्यालय संचालित हैं :–

1–दीनबन्धु इण्टर कालेज, शहीदनगर, गाजियाबाद (वित्त विहीन) (स्थानीय),

2–सिद्धार्थ हा0से0 स्कूल, अर्थला, गाजियाबाद। (07 कि0मी0),

3–चौधरी विशन सिंह इण्टर कालेज, अर्थला (वित्त विहीन) (07 कि0मी0),

4–श्री लाल चन्द्र शर्मा, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साहिबाबाद, गाजियाबाद। (सहायता प्राप्त) (05 कि0मी0),

5–कैलाशवती इण्टर कालेज, अर्थला (सहायता प्राप्त) (07 कि0मी0),

उक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014–15 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा का शत–प्रतिशत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य हेतु पूर्व माध्यमिक विद्यालय कड़कड़ माडल नगर साहिबाबाद, जनपद–गाजियाबाद, उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी दूरी शहीदनगर से लगभग 05 कि0मी0 है। प्रदेश के सभी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में बालक/बालिका अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अर्थात् प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालक तथा बालिकाओं का प्रवेश विद्यालय की धारण क्षमता एवं मान्य कक्षाओं के अनुरूप लिया जा सकता है।,

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड मौ0पुर देवमल में समाजवादी पेंशन योजना में घोर धांधली के सम्बन्ध में श्रीमती रूचिवीरा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

श्रीमती रूचि वीरा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खदिनांक 19–03–2015 को दी गई सूचना निम्नवत् है :–

मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगी कि सरकार ने समाजवादी पेंशन की शुरुआत प्रदेश में गरीब, मजलूम व असहाय व्यक्तियों की सहायता के आशय से शुरू की थी, परन्तु जनपद बिजनौर के ब्लाक मौ0 पुर देवमल के सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ने पात्र व्यक्तियों के नाम काटकर व पैसे लेकर अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची में सम्मिलित कर लिये हैं।

सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ जांच एवं कार्यवाही अति आवश्यक है, क्योंकि ये अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पलिता लगा रहे हैं, और पात्र लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का पूर्णतया लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग सरकार से करती हूं।

2–इस सम्बन्ध में श्रीमती रुचि वीरा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, बिजनौर के कार्यालय पत्रांक 4190/स0क0/स0वा0पें0यो0/ 2014–15, दिनांक 21–03–2015 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्रकरण की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मौ0 पुर देवमल से कराई गई। खण्ड विकास अधिकारी मौ0 पुर देवमल द्वारा अपने पत्र संख्या–2110/स0क0/शिकायत जांच/स0वा0पें0यो0/2015, दिनांक 20–06–2015 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विकास खण्ड मौ0 पुर देवमल का भौतिक लक्ष्य 7654 निर्धारित था। जिसके सापेक्ष 21627 आवेदन–पत्र विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों से प्राप्त हुए थे। लाभार्थियों की सूची का ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदन के उपरान्त मानक के अनुसार पात्रों का अन्तिम रूप से चयन किया गया है। श्रीमती रुचि वीरा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में समाजवादी पेंशन योजना में अपात्र व्यक्तियों के चयन के सम्बन्ध में जो तथ्य उल्लिखित किया गया है, उसमें अपात्रों के नाम का उल्लेख नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कराया जाना सम्भव नहीं है।,

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 2 फरवरी, 2011 के प्रस्तर–7 के प्रदेश के बी0आर0सी0 सह–समन्वयकों को प्रधानाध्यापक उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों के बराबर वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

उक्त सूचना के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग की गयी है कि प्रदेश के सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्थापित ब्लाक संसाधन केन्द्रों का.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

ख्पुनर्गठन शासनादेश सं0–390379/5/2010–424/02टी0सी0, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बी0आर0सी0 पर पांच सह समन्वयकों, विषय विशेषज्ञों (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामान्य विज्ञान) का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के उपरान्त किया गया है। चयनित सभी सह समन्वयकों अपनी सर्वोत्तम सेवायें विभाग को दे रहे हैं और शिक्षण–प्रशिक्षण, शिक्षा मित्र, बी0टी0सी0 प्रशिक्षण विद्यालयों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण नवाचार जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्व वेतनमान पर कर रहे हैं जबकि शासनादेश के अनुसार ए0बी0आर0सी0 के पद पर प्रधानाध्यापक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान देय है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–7 में वर्णित व्यवस्था के तहत इनको प्रधानाध्यापक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के समतुल्य वेतनमान दिलाना जनहित में आवश्यक है।

केवल वक्तव्य :–

अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 02–02–2011 द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधनों केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है। उक्त पुनर्गठित व्यवस्था में प्रत्येक ब्लाक/नगर संसाधन केन्द्र पर 07 सह समन्वयक के पद हैं, जिसमें 01 पद समेकित शिक्षा, 01 पर वैकल्पिक/विशिष्ट शिक्षा, 01 पद विज्ञान शिक्षा, 01 पद गणित शिक्षा, 01 पद अंग्रेजी शिक्षा, 01 पद हिन्दी शिक्षा तथा 01 पद सामाजिक अध्ययन के लिये हैं। उक्त शासनादेश

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के प्रस्तर–7 के अन्तर्गत विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी और सामाजिक विषय के सह समन्वयकों के पद हेतु निम्नवत् निर्धारित की गई है :–

- वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता।
- प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का अनुभव।
- अवकाश ग्रहण करने में 08 वर्ष से अधिक सेवाकाल अवशेष हो।
- बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 सह–समन्वयक के पद पर वेतनमान उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समतुल्य होगा।

शासनादेश दिनांक 02–02–2011 निर्गत होने के उपरान्त तत्समय जनपदों से यह पृच्छा की गई थी कि ''क्या चयन हेतु प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान दिया जायेगा ?'' चूंकि शासनादेश के अनुसार बी0आर0सी0 सह–समन्वयक का पद, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के वेतनमान का है तथा चयन हेतु केवल प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान पाने वाले ही अर्ह नहीं हैं वरन् वांछित विषय में स्नातक उपाधि के साथ अध्यापक प्रशिक्षण योग्यता, परिषदीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का अनुभव तथा अवकाश ग्रहण करने में 08 वर्ष से अधिक सेवाकाल रखने वाले अध्यापक चयन के लिये अर्ह हैं। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि चयनित सह–समन्वयक को प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान नहीं दिया जायेगा। यह वेतनमान केवल उन्हीं चयनित सह–समन्वयकों को देय होगा जो अपनी मौलिक नियुक्ति के पद पर प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान प्राप्त कर रहे होंगे।

तद्नुसार राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 16 मार्च, 2011 द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश प्रसारित किये गये कि बी0आर0सी0 समन्वयक का पद प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) के वेतनमान का होगा, किन्तु यह वेतनमान केवल उन्हीं बी0आर0सी0 समन्वयकों को देय होगा, जो चयन से पहले प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद पर कार्यरत हों अथवा चयन वेतनमान के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का वेतनमान प्राप्त कर रहे हों। शेष बी0आर0सी0 समन्वयकों को अपने मूल पद का ही वेतनमान देय होगा।,

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सरदारनगर में पालीटेक्निक कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(सदस्य श्री जय प्रकाश निषाद का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर।)

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम–नगला तुहीराम के विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री काली चरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम नगला तुहीराम नई आबादी.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खविकास खण्ड बिचपुरी में आंशिक भाग में विद्युतीकरण हुआ है, जबकि नई आबादी में यह विद्युतीकरण नहीं कराया जा रहा है जिससे ग्रामीण बहुत दूर से लकड़ी के खम्भों पर केबिल डालकर बहुत दूर तक ले जाते हैं, जिससे कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया लेकिन उक्त समस्या का समाधान अब तक नहीं किया गया है। विद्युतीकरण एवं जर्जर तार बदलने की इस समस्या का समाधान अब तक न होने के कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

आख्या :–जनपद आगरा के अन्तर्गत नगला तुहीराम ग्राम सभा लखनपुर विकास खण्ड बिचपुरी में लम्बी केबिलों से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जा रही विद्युत आपूर्ति की समस्या के निराकरण हेतु साइट का निरीक्षण कराकर सर्वे कार्य पूर्ण करा लिया गया है। सामग्री प्रबन्ध हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा माह जून, 2015 तक कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है।,

जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र की निम्नलिखित 03 मार्गों पर अत्यधिक यातायात.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्के कारण इन सड़कों की वर्तमान चौड़ाई 3.00 मीटर को जनहित में 5.50 मीटर तक चौड़ीकरण कराने की मांग की गई है :–

1–सरायमीर से नन्दाव सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य, लम्बाई 10.00 कि0मी0।

2–सरायमीर–बीनापारा मार्ग (रेलवे क्रासिंग हो करके) का चौड़ीकरण कार्य, लम्बाई 8.00 कि0मी0।

3–भदुली पुल से मुकुन्दपुर का भाग (आसुत–मिर्जापुर–माहुल–बेलवाई मार्ग प्रमुख जिला मार्ग संख्या–158ई0) कि0मी0 5 से 12 (500) लम्बाई 7.50 कि0मी0।

वक्तव्य :–

प्रश्नगत मार्गों के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराना है कि :–

1–सरायमीर से नन्दाव मार्ग, अन्य जिला मार्ग है, जो लखनऊ–बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0–34) के कि0मी0 244 से निकल कर मार्टिनगंज–गम्भीरपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) में मिलता है। मार्ग की लम्बाई 10.50 कि0मी0 है। तथा लेपित चौड़ाई 3.30 मीटर है। वर्तमान में मार्ग पर पी0पी0यू0 5593 एवं सी0वी0पी0डी0 298 है, जो चौड़ीकरण के मानक को पूर्ण करता है। मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.30 मीटर से बढ़कार 5.50 मीटर चौड़ीकरण हेतु अनुमानित लागत रु0 398.19 लाख होगी।

2–सरायमीर–बीनापारा–रसूलपुर मार्ग, अन्य जिला मार्ग है, यह मार्ग लखनऊ–बलिया मार्ग (राज्य मार्ग सं0–34) के कि0मी0 242 से निकलकर आसुत–मिर्जापुर–माहुल–बेलवाई मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग संख्या–158ई) में मिलता है। यह मार्ग, राज्य मार्ग एवं प्रमुख जिला मार्ग को जोड़ने के कारण अत्यधिक महत्व का है। मार्ग की लम्बाई 6.50 कि0मी0 है तथा लेपित चौड़ाई 3.00 मीटर है। वर्तमान में मार्ग पर पी0पी0यू0 6135 एवं सी0वी0पी0डी0 325 है, जो चौड़ीकरण के मानक को पूर्ण करता है। मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.00 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर चौड़ीकरण हेतु अनुमानित लागत रु0 265.91 लाख होगी।

3–भदुली पुल से मुकुन्दपुर (चैनेज 4.000 से 11.500) तक मार्ग, अभिलेखों में आसुत–मिर्जापुर–माहुल–बेलवाई मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग संख्या–158ई (कुल लम्बाई 54. 840 कि0मी0) का भाग है। मार्ग का उक्त भाग आजमगढ़ शहरी भाग में वाराणसी–आजमगढ़ राष्ट्रीय मार्ग से निकलकर कप्तानगंज–तहबरपुर–मुहम्मदपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के कि0मी0 15 से स्थित मुकुन्दपुर में मिलता है। मुकुन्दपुर से लगभग 1.00 कि0मी0 की दूरी पर कप्तानगंज–तहबरपुर–मुहम्मदपुर मार्ग पर ही निजामाबाद कस्बा एवं तहसील स्थित है। निजामाबाद से लगभग 21.00 कि0मी0 आगे इसी प्रमुख जिला मार्ग सं0 158ई से तहसील एवं कस्बा फूलपुर भी जुड़ता है। जनपद मुख्यालय एवं 02 तहसीलों को जोड़ने के कारण मार्ग अत्यधिक महत्व का है। आजमगढ़ शहर की ओर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से मार्ग के कि0मी0 1 से 4 तक वर्तमान में 5.50 मीटर चौड़ाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है। मार्ग के प्रश्नगत भाग की वर्तमान चौड़ाई 3.70 मीटर है। वर्तमान में मार्ग पर पी0सी0यू0 6498 एवं सी0वी0पी0डी0 385 है, जो चौड़ीकरण के मानक को पूर्ण करता है। मार्ग की वर्तमान चौड़ाई 3.70 मीटर से बढ़ाकर 5.50 मीटर चौड़ीकरण हेतु अनुमानित लागत रु0 318.26 लाख होगी।

उपरोक्त मार्गों की चौड़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 24 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 59 विधान सभा (100)–22–07–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।